

Ultra High- Definition Television (UHD TV/4K TV)

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/Regulation / Amendment/Schedule No. & Date Reference	IS / IEC Standards
Ultra High-Definition Television (UHD TV/4K TV)	14(a) Amendment I	S.O. 2785(E) dated 15th July, 2024	IEC 62087-3: Television 2024 2015 & IEC 62301, IS 616: 2017, with all amendments
	Principal 14(a)	S.O. 1221(E) dated 14 th March, 2023	
	Principal 14(b)	S.O. 1222(E) dated 14 th March, 2023	
	Principal 14(d)	No. BEE/S&L/UHD/02/2022-23 dated 3 rd March, 2023	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255479
CG-DL-E-17072024-255479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2649]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946

No. 2649]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

का.आ. 2785(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1221(अ), तारीख 14 मार्च, 2023 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में "स्टार स्तर या स्टार रेटिंग प्लान" शीर्षक के अधीन पैरा 3 के उप-पैरा (1) की सारणी 3.1 में "2024" अंकों के स्थान पर "2027" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/1/2022-ईसी-पार्ट(2)]

धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1221(अ), तारीख 14 मार्च, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2024

S.O. 2785(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Power, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 14th March, 2023, *vide* number S.O. 1221(E), dated the 14th March, 2023, namely:-

In the said notification, under heading “Star level or star rating plan” in sub-paragraph (1) of paragraph 3, in Table 3.1, for figures “2024”, the figures “2027” shall be substituted.

[F. No.10/1/2022-EC-Part (2)]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1221(E), dated the 14th March, 2023.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032023-244406
CG-DL-E-15032023-244406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1174]
No. 1174]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2023/फाल्गुन 23, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2023/PHALGUNA 23, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2023

का.आ. 1221(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, 1 जुलाई, 2023 से स्टार लेबल किए गए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लिए निम्नलिखित ऊर्जा उपभोग मानकों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

(1) भारत में, यथास्थिति विनिर्मित किए गए, वाणिज्यिक रूप से क्रय या विक्रय या आयातित किए जा रहे, ऐसे टेलीविजनों को छोड़कर, जिनमें नॉन-रिमूवेबल मुख्य बैटरी वाले और कंप्यूटर मॉनिटर सम्मिलित हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बैकलाइटिंग, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, माइक्रो-लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के, 3,840 x 2,160 (4के) के नेटिव रिज़ोल्यूशन वाले अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन,-

- (क) आईईसी 62087-3, 2015, संस्करण 1.0 (आज तक के सभी संशोधनों सहित) में यथाविनिर्दिष्ट स्टैंडबाय पैसिव मोड विद्युत उपभोग एंड पीक ल्यूमिनेंस रेशियो की अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे;
- (ख) निम्नानुसार विनिर्दिष्ट अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन की स्टैंडबाय विद्युत उपभोग अपेक्षाओं को पूरा करेंगे: स्टैंडबाय पैसिव विद्युत उपभोग ≤ 0.5 वाट होगा;
- (ग) भारतीय मानक आईएस 616: 2017/आईईसी 60065: 2014 संस्करण 8.0 (आज तक के सभी संशोधनों सहित) में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा की अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे; और

(घ) एक दिन में टीवी देखने के औसत अवधि को वर्ष के 365 दिन से गुणा करने के आधार पर ऑन मोड और स्टैंडबाय सक्रिय लो मोड का उपयोग करके वार्षिक ऊर्जा उपभोग को पूरा करेंगे।

(2) अल्ट्रा-हाई डेफिनीशन टेलीविजन पर चिपकाए जाने वाला लेबल एक स्टार के अंतराल सहित अधिकतम पांच स्टार प्रदर्शित करेगा, और अल्ट्रा-हाई डेफिनीशन टेलीविजन को उनकी सापेक्ष वार्षिक ऊर्जा उपभोग के आधार पर स्टार एक से स्टार पांच तक रेट किया जाएगा।

2 (1) परिभाषाएं.- इस अधिसूचना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "वार्षिक ऊर्जा उपभोग" से सामान्यतः ऑन-मोड विद्युत उपभोग और स्टैंडबाय विद्युत उपभोग अभिप्रेत है जो एक दिन में टीवी देखने के औसत अवधि को वर्ष के तीन सौ पैंसठ दिनों से गुणा करने पर आधारित होती है।
- (ख) "एनालॉग टीवी" से राष्ट्रीय टेलीविज़न मानक समिति, फेज प्रत्यावर्ती लाइन, या सीक्वेंशियल कलर विद मेमोरी ट्यूबर के उपबन्ध वाले टेलीविजन सेट अभिप्रेत हैं जिनमें एनालॉग वीडियो इनपुट हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, समग्र वीडियो, घटक वीडियो, एस-वीडियो, आरजीबी)।
- (ग) "स्वचालित ब्राइटनेस कंट्रोल" से ऐसी विशिष्टता अभिप्रेत है जो परिवेश की प्रकाश स्थिति को अनुभव करती है और तदनुसार, संभवतः विद्युत के उपभोग को कम करते हुए डिस्प्ले की चमक में परिवर्तन करती है।
- (घ) "रंगीन टेलीविजन" से एनालॉग और/या डिजिटल सिग्नल के स्थलीय, केबल, उपग्रह और ब्रॉडबैंड नेटवर्क ट्रांसमिशन के लिए टेलीविजन प्रसारण और समान सेवाओं की प्राप्ति तथा प्रदर्शन के लिए उपस्कर अभिप्रेत है।
- (ङ) "डिजिटल टेलीविजन" से ऐसे टेलीविजन अभिप्रेत है जिसमें कम से कम एक डिजिटल ट्यूबर या कम से कम एक डिजिटल वीडियो इनपुट (उदाहरणार्थ हाई डेफिनीशन मीडिया इंटरफेस) सम्मिलित है। एनालॉग ट्यूबर और एनालॉग तथा डिजिटल इनपुट दोनों वाले उत्पादों को डिजिटल उत्पाद माना जाना चाहिए।
- (च) "डिस्कनेक्टेड" से वह स्थिति अभिप्रेत है जहां उत्पाद का उपयोग करने वाले मेन्स विद्युत ऊर्जा स्रोत के सभी कनेक्शन हटा दिए जाते हैं या बाधित हो जाते हैं और कम विद्युत मोड में नहीं होते हैं।
- (छ) "बाहरी विद्युत आपूर्ति" से टेलीविजन को विद्युत देने के प्रयोजन से, आपूर्ति कार्यों के लिए साधित्रों के साथ जोड़ी गई एक अन्य कॉर्ड अभिप्रेत है, जो मेन्स से लाइन वोल्टेज एसी इनपुट को कमतर डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- (ज) "ल्यूमिनेंस" से किसी निश्चित दिशा में संचारित प्रकाश के प्रति यूनिट क्षेत्र में दीप्त तीव्रता का फोटोमेट्रिक माप अभिप्रेत है, जहां ल्यूमिनेंस उस प्रकाश की मात्रा को चित्रित करता है जो किसी विशेष क्षेत्र से होकर गुजरता है या विकीर्णित होता है, और किसी निश्चित ठोस कोण के भीतर गिरता है और कैंडेला प्रति वर्ग मीटर (सीडी/एम²) में व्यक्त किया जाता है।
- (झ) "नेटिव रिज़ोल्यूशन" से अभिप्रेत है कि इसे पिक्सेल की संख्या से मापे जाने वाले - स्क्रीन के भौतिक आकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- (ञ) "प्रचालन मोड" से निम्नलिखित अभिप्रेत है;
 - (i) ऑन मोड - टेलीविजन सेट एक बाहरी विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है और चित्र तथा, यदि संभव हो, तो ध्वनि प्रदान करता है;
 - (ii) ऑफ मोड - टेलीविजन सेट एक बाहरी विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है और चित्र या ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है और बाहरी विद्युत स्रोत पर निर्भर कोई अन्य फंक्शन प्रदान नहीं करता है और टेलीविज़न सेट को रिमोट-कंट्रोल यूनिट, या बाहरी या आंतरिक सिग्नल द्वारा किसी अन्य मोड में स्विच नहीं किया जा सकता है परंतु यदि पावर स्विच की स्रोत दिशा में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी फ़िल्टर या अन्य घटक विद्यमान हैं तो विद्युत का कुछ उपभोग हो सकेगा।

- (iii) **स्टैंडबाय पैसिव मोड** - टेलीविजन सेट एक बाहरी विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है और चित्र या ध्वनि प्रदान नहीं करता है और टेलीविजन सेट को रिमोट-कंट्रोल यूनिट या आंतरिक सिग्नल द्वारा किसी अन्य मोड में स्विच किया जा सकता है, लेकिन बाहरी सिग्नल द्वारा नहीं।
- (iv) **स्टैंडबाय एक्टिव, हाई मोड** - टेलीविजन सेट एक बाहरी विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है और चित्र या ध्वनि प्रदान नहीं करता है और टेलीविजन सेट को रिमोट-कंट्रोल यूनिट, किसी आंतरिक सिग्नल या किसी बाहरी सिग्नल द्वारा दूसरे मोड में स्विच किया जा सकता है और अतिरिक्त रूप से, टेलीविजन सेट बाहरी स्रोत द्वारा/से डेटा का आदान-प्रदान या प्राप्ति कर रहा है।
- (v) **स्टैंडबाय एक्टिव, लो मोड** - टेलीविजन सेट एक बाहरी विद्युत स्रोत से जुड़ा है और चित्र या ध्वनि प्रदान नहीं करता है और टेलीविजन सेट को रिमोट-कंट्रोल यूनिट या आंतरिक सिग्नल द्वारा दूसरे मोड में स्विच किया जा सकता है और अतिरिक्त रूप से बाहरी सिग्नल द्वारा किसी अन्य मोड में स्विच किया जा सकता है।
- (ट) "अल्ट्रा हाई टेलीविजन" से अभिप्रेत भारत में विनिर्माण किया जा रहे, वाणिज्यिक रूप से क्रय, आयातित या विक्रय किए जा रहे लाइट एमिटिंग डायोड बैकलाइटिंग, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, माइक्रो- लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन अभिप्रेत है जिसका उपयोग भारतीय बाजार में 3,840 x 2,160 पिक्सल (4के) के नेटिव रिज़ोल्यूशन वाले अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन बनाने और बेचने के लिए किया जा सकता है, जो केवल ऐसे बाहरी विद्युत स्रोत द्वारा संचालित किया जा सकता है जिसकी वोल्टेज 250 वी एसी, 50 हर्ट्ज से अधिक न हो।

(2) ऊर्जा लेबल पर प्रदर्शित वार्षिक ऊर्जा उपभोग (क) ऑन मोड और स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड विद्युत उपभोग का कार्य है और इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्राप्त किया जाएगा, अर्थात्: -

$$\text{ईईसी} = (P_a \times 6 + P_s \times 12) \times 0.365 \text{ किवाघं/वर्ष};$$

जहाँ:-

P_a = दैनिक छह घंटे उपयोग करने पर वाट में 'ऑन मोड' विद्युत उपभोग;

P_s = दैनिक बारह घंटे उपयोग करने पर वाट्स में 'स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड' विद्युत उपभोग;

किवाघं/वर्ष = किलो वाट घंटा प्रति वर्ष।

(ख) वार्षिक ऊर्जा उपभोग की गणना स्क्रीन आकार पर विचार किए बिना एक दिन में टेलीविजन देखने के औसत अवधि को वर्ष में 365 दिन से गुणा करने पर आधारित सामान्य ऑन-मोड और स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड विद्युत उपभोग का उपयोग करके की जाएगी।

(ग) 0.5 वाट या अधिक विद्युत का मापन 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर 2% से कम या उसके बराबर की सापेक्ष अनिश्चितता के साथ किया जाएगा और 0.5 वाट से कम विद्युत का मापन 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर 0.01 से कम या उसके बराबर की अनिश्चितता के साथ किया जाएगा।

(3) स्टैंडबाय विद्युत उपभोग-

(i) सभी टेलीविज़नों के लिए स्टैंडबाय विद्युत उपभोग स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड विद्युत उपभोग होगी;

(ii) स्टैंडबाय विद्युत उपभोग को आईईसी 62087-3 के अनुसार मापा जाएगा;

टिप्पण - P_s मान की गणना के लिए, स्टैंडबाय पैसिव मोड का उपयोग किया जाएगा, परंतु अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन में वाई-फाई क्षमताएं न हों। तथापि, वाई-फाई क्षमता वाले अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टीवी के लिए, P_s की गणना के लिए स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड विद्युत उपभोग को मापा जाएगा।

(iii) स्टैंडबाय पैसिव विद्युत उपभोग ≤ 0.5 वाट होगी; और

(iv) 0.5 वाट या अधिक विद्युत का मापन 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर 2% से कम या उसके बराबर की अनिश्चितता के साथ किया जाएगा और 0.5 वाट से कम विद्युत का मापन 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर 0.01 से कम या उसके बराबर की अनिश्चितता के साथ किया जाएगा। विद्युत मापन उपस्कर का रिज़ोल्यूशन निम्नानुसार होगा:-

(क) 10 वाट या उससे कम के विद्युत मापनों के लिए 0.01 वाट या अधिक;

(ख) 100 वाट से अधिक 100 वाट तक की विद्युत मापनों के लिए 0.1 वाट या अधिक; और

(ग) 100 वाट से अधिक के विद्युत मापनों के लिए 1 वाट या अधिक।

परंतु एक से अधिक फेज से जुड़े उपस्करों के लिए, विद्युत मापन उपस्कर को जुड़े हुए सभी फेजों की कुल विद्युत को मापने के लिए सुसज्जित किया जाएगा और

परंतु यह और कि माप की अनिश्चितता के अवधारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 62301:2011, उपाबंध (घ) देखें

(4) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं।

3. स्टार स्तर या स्टार रेटिंग प्लान) -1) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर एक लेबल लगा होगा, जो उनके सापेक्ष वार्षिक ऊर्जा उपभोग के आधार पर एक स्टार के अंतराल के साथ अधिकतम पांच स्टार प्रदर्शित करेगा। अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन की स्टार रेटिंग योजना प्रति वर्ष किलो वाट घंटे (किवाघं) में वार्षिक विद्युत उपभोग द्वारा अवधारित की जाएगी, जिसे सारणी 3.1 में यथाविनिर्दिष्ट समीकरणों में वर्ग सेंटीमीटर में स्क्रीन क्षेत्र के प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। स्टार रेटिंग योजना वार्षिक ऊर्जा उपभोग और किसी विशेष मॉडल के तदनुरूप स्क्रीन क्षेत्र पर आधारित होगी। स्क्रीन क्षेत्र के अनुरूप आईसी की गणना निम्नलिखित समीकरण द्वारा की जाएगी:

$$\text{आईसी} = (X \times A) + Y \text{ जहां:}$$

$$\text{आईसी (किवाघं/वर्ष में)} = \text{वार्षिक विद्युत उपभोग}$$

$$A \text{ (वर्ग सेंटीमीटर में)} = \text{प्रभावी या दृश्य योग्य स्क्रीन क्षेत्र की गणना डिस्प्ले/स्क्रीन की चौड़ाई को डिस्प्ले या स्क्रीन की ऊंचाई से गुणा करके की जाती है}$$

$$X \text{ (किवाघं/वर्ष/वर्ग सेमी में)} = \text{वाट में ऑन मोड विद्युत उपभोग} \times \text{'ऑन मोड' में प्रचालन अवधि} \times 365/1000$$

$$Y \text{ (किवाघं/वर्ष में)} = \text{वाट में स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड विद्युत उपभोग} \times \text{प्रचालन अवधि} \times 365/1000.$$

सारणी 3.1:

(01 जुलाई, 2023 से 31 दिसंबर, 2024 तक विधिमान्य)

स्टार रेटिंग बैंड	अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन 4के टेलीविज़न (वार्षिक ऊर्जा उपभोग (किवाघं/वर्ष))		
1 स्टार	$0.0271 \times A + 6.226$	$< \text{आईसी} \leq$	$0.0325 \times A + 6.226$
2 स्टार	$0.0217 \times A + 6.226$	$< \text{आईसी} \leq$	$0.0271 \times A + 6.226$
3 स्टार	$0.0174 \times A + 6.226$	$< \text{आईसी} \leq$	$0.0217 \times A + 6.226$
4 स्टार	$0.0139 \times A + 6.226$	$< \text{आईसी} \leq$	$0.0174 \times A + 6.226$
5 स्टार		$< \text{आईसी} \leq$	$0.0139 \times A + 6.226$

टिप्पण: विशेष मॉडल के लिए विभिन्न स्टार स्तर बैंड के मान और उस मॉडल के लिए चुने गए स्टार स्तर प्रत्येक स्टार स्तर बैंड की निचली और ऊपरी सीमा पर आधारित होंगे, जैसा कि सारणी 3.1 में उल्लिखित किया गया है।

(2) स्टार रेटिंग स्तरों के लिए कोई ऋणात्मक सहायता नहीं होगी और सभी परीक्षित उपस्कर प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए न्यूनतम सीमा की पूर्ति करेंगे, और स्टार रेटिंग का अवधारण करते समय विनिर्माता द्वारा, पूर्णांकन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, विनिर्माण सहायता और अन्य विविधताओं की व्यापकता को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्: -

- i. वार्षिक विद्युत उपभोग (किवाघं/वर्ष) के मान को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णकृत और अभिलिखित किया जाएगा;
- ii. विद्युत उपभोग (वाट) के मान को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णकृत और अभिलिखित किया जाएगा; और
- iii. स्क्रीन आकार (सेंटीमीटर) के मान को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णकृत और अभिलिखित किया जाएगा; और
- iv. आईएस 2:1960 या इस मानक का अधिक्रमण करने वाले किसी संस्करण के अनुसार, सभी मानों को संबंधित दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा।

4. परीक्षण विधियां.- (1) किसी अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के स्टार स्तर को अवधारित करने के प्रयोजन से, सारणी 4.1 में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित परीक्षण मानकों का उपयोग किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी 4.1: परीक्षण मानक

परीक्षण मानदंड	परीक्षण मानक
ऑन मोड विद्युत उपभोग	आईईसी 62087-3, 2015, संस्करण 1.0 (आज तक के सभी संशोधनों सहित) ऑडियो, वीडियो और संबंधित उपस्कर - विद्युत उपभोग का अवधारण- भाग 3: टेलीविजन सेट
स्टैंडबाय मोड विद्युत उपभोग (ऑफ मोड, स्टैंडबाय पैसिव मोड, स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड में विद्युत उपभोग का मापन)	
पीक ल्यूमिनेन्स अनुपात	
सुरक्षा अपेक्षाएं	आईएस 616: 2017/आईईसी 60065: 2014 संस्करण 8.0 (आज तक के सभी संशोधनों सहित) ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर - सुरक्षा अपेक्षाएं

(2) पूर्व अर्हता मानदंड: वीईई लेवलिंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन को उपरोक्त सारणी 4.1 में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए अर्थात्:-

- क) पीक इल्यूमिनेन्स अनुपात $\geq 65\%$;
- ख) स्टैंडबाय पैसिव मोड विद्युत उपभोग $\leq 0.5W$; और
- ग) सुरक्षा अपेक्षाएं।

टिप्पण.- ऑफ मोड विद्युत उपभोग और विद्युत कारक को अधिसूचना में दिए गए विहित परीक्षण रिपोर्ट प्रारूप में सूचित किया जाएगा और उनका मान रिकॉर्ड के लिए होगा और वे पूर्व-अर्हता मानदंड नहीं होंगे और

सुरक्षा अपेक्षाओं के मामले में भी, उत्पाद को अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण योजना बीआईएस के अधीन आईएस 616 के अनुसार उत्पाद की अनुरूपता के संबंध में विधिमान्य दस्तावेज द्वारा समर्थित बीआईएस अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण स्कीम के अधीन प्रमाणित होना चाहिए।

(3) (क) 'ऑन मोड' और 'स्टैंडबाय एक्टिव लो' मोड में विद्युत उपभोग को सारणी 4.1 में उल्लिखित मानकों के अनुसार मापा जाएगा और इसे वाट में व्यक्त किया जाएगा;

(ख) विद्युत उपभोग के मान को 'ऑन मोड' के लिए P_a (वाट में) और 'स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड' के लिए P_s (वाट में) के रूप में निरूपित किया जाएगा; और

(ग) P_a और P_s के आधार पर गणना की गई वार्षिक विद्युत उपभोग, रेटेड मान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(4) 'ऑन मोड' विद्युत उपभोग के लिए ऊर्जा उपभोग को डिफॉल्ट पिक्चर मोड (होम व्यूइंग मोड) में मापा जाएगा, तथापि, यदि यह मोड उपलब्ध नहीं है, तो ऊर्जा उपभोग का मापन सबसे अधिक ब्राइटनेस वाले चयन योग्य प्री-सेट पिक्चर मोड के लिए किया जाएगा।

(5) 'ऑन मोड' विद्युत उपभोग का मापन एबीसी सेंसरों वाले टेलीविज़न के लिए ऑटोमेटेड ब्राइटनेस कंट्रोल फ़ंक्शन को अक्षम करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

5. परीक्षण रिपोर्ट.- प्रत्येक इकाई के परीक्षण के परिणाम उपाबंध क में सूचित किए जाएंगे।

उपाबंध क

परीक्षण के परिणाम सूचित करने के लिए प्ररूप

परीक्षण सूचना संख्या:

परीक्षण की तारीख :

1 अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन उत्पाद के ब्यौरे.

क्र.सं.	अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन उत्पाद के ब्यौरे	मापित मान/ टिप्पणियां
1.	ब्रांड:	
2.	टाइप:	
3.	मॉडल का नाम: (यदि लागू हो)	
4.	मॉडल संख्या:	
5.	रेटेड इनपुट वोल्टेज या वोल्टेज रेंज (वोल्ट):	
6.	रेटेड स्क्रीन आकार (सेमी.):	
7.	रेटेड स्क्रीन क्षेत्र (वर्ग सेमी.):	
8.	रेटेड ऊर्जा उपभोग (किवाघं/वर्ष):	
9.	स्टैंडबाय पैसिव विद्युत उपभोग (वाट):	

2 अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टीवी आकृति

क्र.सं.	परीक्षण	मापित मान/ टिप्पणियां
1	इनपुट टर्मिनल	
2	कन्ट्रास्ट/ब्राइटनेस	
3	विद्युत बचत फ़ंक्शन्स	
4	ध्वनि स्तर	
5	पीरियड (डायनमिक सिग्नल)	
6	संगठित क्षेत्र (वर्ग सेमी.)	

3 परीक्षण सेट अप

विद्युत स्रोत के लिए सामान्य स्थिति अपेक्षाएं

क्र.सं.	परीक्षण	मापित मान/ टिप्पणियां
1	मुख्य बैटरी कनेक्शन	
2	बाहरी विद्युत आपूर्तियां	
3	मेन्स विद्युत	

4	मेन्स के अतिरिक्त अन्य विद्युत स्रोत	
5	विद्युत स्रोत, ऑन मोड	
6	विद्युत स्रोत, आंशिक ऑन तथा ऑफ मोड	

आरम्भिक गतिविधियां

क्र.सं.	परीक्षण	मापित मान/ टिप्पणियां
1	कूल डाउन	
2	मुख्य बैटरियां	
3	प्लग-इन मॉड्यूल	
4	इन्स्टालेशन	
5	इन्पुट सिग्नलों का अप्लीकेशन	
6	ल्यूमिनेन्स मापन डिवाइस सेटअप	
7	प्रकाश स्रोत सेटअप	
8	पावर ऑन	
9	टीवी सेटिंग्स: डिफाल्ट सेटिंग्स	
10	टीवी सेटिंग्स: इन्पुट स्रोत चयन	
11	टीवी सेटिंग्स: सैटेलाइट फीचर	
12	टीवी सेटिंग्स: अतिरिक्त फंक्शन्स	
13	टीवी सेटिंग्स: विशेष फंक्शन	
14	टीवी सेटिंग्स: वीडियो आकार, आस्पेक्ट अनुपात, और रिज़ोल्यूशन	
15	टीवी सेटिंग्स: ध्वनि स्तर एडजस्टमेंट्स	
16	टीवी सेटिंग्स: नेटवर्किंग	

4 ल्यूमिनेन्स परीक्षण और विद्युत मापनों के लिए मापन उपस्कर

क्र.सं.	नामपद्धति (मापन उपस्कर के व्यौरे)	मेक	मॉडल	समाधान/ शुद्धता	अशांकन विधिमान्यता तारीख
1	विद्युत मापन				
	क वाटमीटर				
	ख एवरेजिंग फंक्शन सहित वाटमीटर				
	ग वाटआवर मीटर				
2	ल्यूमिनेन्स मापन डिवाइस (एलएमडी)				

3	इल्यूमिनेंस मापन यंत्र				
---	------------------------	--	--	--	--

5. परीक्षण परिणाम: प्रयुक्त मापन पद्धति आईईसी 62087-3, 2015 (परीक्षित 3 इकाइयों में से प्रत्येक के लिए प्रस्तुत किया जाना है)

क. ल्यूमिनेंस परीक्षण

क्र. सं.	परीक्षण	मापित मान
1	पीक ल्यूमिनेंस, डिफाल्ट पिक्चर सेटिंग, L _{DEFAULT}	
2	विद्युत कारक का अवधारण	
3	सबसे अधिक ब्राइटनेस वाली चयनयोग्य प्रीसेट सेटिंग का अवधारण	
4	पीक ल्यूमिनेंस, सबसे अधिक ब्राइटनेस वाली चयनयोग्य प्रीसेट सेटिंग, L _{BRIGHTEST_SELECTABLE}	
5	पीक ल्यूमिनेंस, रिटेल पिक्चर सेटिंग, L _{RETAIL}	
6	पीक ल्यूमिनेंस, समग्र सबसे अधिक ब्राइटनेस वाली प्रीसेट पिक्चर सेटिंग, L _{BRIGHTEST}	
7	पीक ल्यूमिनेंस अनुपात, L _{DEFAULT} / L _{BRIGHTEST}	

क. स्टैंडबाय मोड विद्युत उपभोग परीक्षण

क्र. सं.	परीक्षण	मापित मान
1	ऑफ मोड (वाट)	
2	स्टैंडबाय पैसिव मोड (वाट)	
4	स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड (वाट)	
5	कुल	

ख. ऑन-मोड विद्युत उपभोग परीक्षण: स्थिर, गतिशील और इंटरनेट सामग्री वीडियो सिग्नल का उपयोग करते हुए ऑन मोड विद्युत मापन

(i) तैयारी

क्र. सं.	परीक्षण	मापित मान
1	विद्युत स्रोत वोल्टेज और आवृत्ति (आईईसी 62087-3 खंड 6.2.2),	
2	इनपुट टर्मिनल (आईईसी 62087-3 खंड 6.2.3)	
3	वीडियो सिग्नल, ऑन मोड विद्युत उपभोग प्रक्रिया (आईईसी 62087-3 खंड 6.2.4)	
4	वीडियो सिग्नल, पीक ल्यूमिनेंस अनुपात प्रक्रिया (आईईसी 62087-3.) खंड 6.2.5)	

5	वीडियो प्रारूप (आईईसी 62087-3 खंड 6.2.6)	
6	स्वचालित ब्राइटनेस कंट्रोल क्षमताएं (आईईसी 62087-3 खंड 6.2.3)	
7	स्वचालित ब्राइटनेस कंट्रोल स्तर (आईईसी 62087-3 खंड 6.2.7)	
8	नेटवर्क कनेक्शन क्षमताएं (आईईसी 62087-3 खंड 6.2.8)	
9	डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स (आईईसी 62087-3 खंड 6.3.10.1)	
10	इनपुट स्रोत चयन (आईईसी 62087-3 खंड 6.3.10.2)	
11	सैटेलाइट फीचर (आईईसी 62087-3 खंड 6.3.10.3)	
12	अतिरिक्त कार्य (आईईसी 62087-3 खंड 6.3.10.4)	
13	विशेष कार्य (आईईसी 62087-3 खंड 6.3.10.5)	
14	वीडियो आकार, आस्पेक्ट अनुपात और समाधान (आईईसी 62087-3 खंड 6.3.10.6)	
15	ध्वनि स्तर समायोजन (आईईसी 62087-3 खंड 6.3.10.7)	
16	नेटवर्किंग (आईईसी 62087-3 खंड 6.3.10.8)	

ii. विद्युत उपभोग का अवधारण, ऑन-मोड

क्र. सं.	परीक्षण	मापित मान
1	स्थिर वीडियो सिग्नल्स का उपयोग कर ऑन मोड विद्युत मापन (आईईसी 62087-3 खंड 6.4.5.2)	
2	गतिशील प्रसारण-कंटेंट वीडियो सिग्नल का उपयोग कर ऑन मोड मापन (आईईसी 62087-3 खंड 6.4.5.3)	
3	इंटरनेट-सामग्री वीडियो सिग्नल का उपयोग कर ऑन मोड मापन (आईईसी 62087-3 खंड 6.4.5.4)	

iii. परीक्षण सार

क्र. सं.	परीक्षण	घोषित/रेटेड मान		प्रेक्षित मान	
		नमूना 1	नमूना 2	नमूना 1	नमूना 2
1	ऑफ-मोड विद्युत उपभोग (वाट)				

2	आंशिक ऑन मोड (स्टैंडबाय पैसिव, एक्टिव लो विद्युत उपभोग (वाट) टिप्पण: स्टैंडबाय पैसिव और स्टैंडबाय एक्टिव लो मोड का मापित मान पृथक रूप से						
---	--	--	--	--	--	--	--

	सूचित किया जाए)						
3	विद्युत कारक						
4	पीक ल्यूमिनेंस अनुपात						
5	ऑन मोड विद्युत उपभोग (वाट)						
6	वार्षिक ऊर्जा उपभोग (किवाघं/वर्ष)						
7	Pa	<तीन परिणामों का औसत>					
8	Ps				<तीन परिणामों का औसत>		

गणना: वार्षिक ऊर्जा उपभोग (एईसी) = $[(6 \times Pa) + (12 \times Ps)] \times 0.365$ किवाघं/वर्ष

[फा. सं. 10/2/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2023

S.O. 1221(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies, the following energy consumption standards for star labelled Ultra-High Definition televisions with effect from 1st July, 2023 namely :-

(1) The Ultra-High Definition televisions with native resolution of 3,840 x 2,160 (4K), of Liquid Crystal Display with Light Emitting Diode backlighting, Organic Light Emitting Diode displays, Quantum dot Light Emitting Diode displays, Micro-Light Emitting Diode displays, excluding televisions that includes a non-removable main battery and computer monitors being manufactured, commercially purchased, sold or imported, as the case may be, in India shall,—

- meet the compliance requirements of Standby Passive Mode Power Consumption and Peak Luminance Ratio as specified in IEC 62087-3, 2015, Edition 1.0 (with all amendment as on date);
- meet the standby power consumption requirements of Ultra-High Definition television specified as follows :- Standby Passive Power Consumption shall be ≤ 0.5 watts;
- meet the compliance requirements of safety as specified in Indian Standard IS 616: 2017/IEC 60065:2014 Edition 8.0 (with all amendment as on date); and
- meet the Annual Energy Consumption using the ON mode and standby active low mode based on an average hour of watching TV a day and multiplied by 365 days a year.

(2) The label to be affixed to Ultra-High Definition television shall display a maximum of five stars with an interval of one star, and the Ultra-High Definition television shall be rated from star one to star five based on their relative annual energy consumption.

2 (1) Definitions.—In this notification, unless the context otherwise requires,—

- “Annual Energy Consumption” means is the typical on-mode power consumption and standby power consumption based on an average hour of usage of watching TV a day and multiplied by three hundred sixty-five days a year.

- (b) **“Analog TV”** means the television sets having the provisions of National Television Standards Committee, Phase Alternating Line, or Sequential colour with Memory tuner and may have analog video inputs (e.g., composite video, component video, S-video, RGB).
- (c) **“Automatic Brightness Control”** means a feature that senses ambient light conditions and changes display luminance, accordingly, possibly reducing power consumption.
- (d) **“Colour Television”** means equipment for the reception and display of television broadcast and similar services for terrestrial, cable, satellite, and broadband network transmission of analogue and/or digital signals.
- (e) **“Digital Television”** means television which includes at least one digital tuner or at least one digital video input (e.g., High Definition Media Interface). Products with an analog tuner and both analog and digital inputs should be considered digital products.
- (f) **“Disconnected”** means the state where all connections to mains power source of energy using product are removed or interrupted and is not in low power mode.
- (g) **“External Power Supply”** means a flexible cord, for supply purposes that is fixed to the appliances and designed to convert line voltage AC input from the mains to lower DC voltage(s) for the purpose of powering the television.
- (h) **“Luminance”** means the photometric measure of the luminous intensity per unit area of light travelling in a given direction where luminance describes the amount of light that passes through or is emitted from a particular area, and falls within a given solid angle and is expressed in candela per square meter (cd/m²).
- (i) **“Native Resolution”** means it can be defined as the physical size of the screen - measured by the number of pixels.
- (j) **“Operational Modes”** means-
 - (i) **On Mode-** The television set is connected to an external power source and provides picture and, if possible, sound;
 - (ii) **Off Mode-** The television set is connected to an external power source and does not produce picture or sound and does not provide any other function that depends on an external power source and the television set cannot be switched into any other mode with the remote-control unit, or an external or internal signal provided that some power may be consumed if an electromagnetic compatibility filter or other components exist on the source side of the power switch.
 - (iii) **Standby Passive Mode-** The television set is connected to an external power source and does not provide picture or sound and the television set can be switched into another mode with the remote-control unit or an internal signal, but not with an external signal.
 - (iv) **Standby Active, High Mode-** The television set is connected to an external power source and does not provide picture or sound and the television set can be switched into another mode with the remote-control unit, an internal signal, or an external signal and additionally, the television set is exchanging or receiving data from an external source.
 - (v) **Standby Active, Low Mode-** The television set is connected to an external power source and does not provide picture or sound and the television set can be switched into another mode with the remote-control unit or an internal signal and can additionally be switched into another mode with an external signal.
- (k) **“Ultra High television”** means Ultra-High Definition television of Liquid Crystal Display with Light Emitting Diode backlighting, Organic Light Emitting Diode displays, Quantum dot Light Emitting Diode displays, Micro- Light Emitting Diode displays, that may be utilized to make and sell Ultra-High Definition television in the Indian market having native resolution of 3,840 x 2,160 pixels (4K) which can be powered only by an external power source at a voltage not exceeding 250 V ac, 50 Hz being manufactured, commercially purchased, imported or sold in India.

(2) The Annual Energy Consumption (a) that appears on energy label is a function of the on mode and Standby Active Low Mode power consumption and shall be obtained using the following equation, namely-

$$AEC = (P_a \times 6 + P_s \times 12) \times 0.365 \text{ kWh/ annum};$$

Where:-

P_a = 'On Mode' power consumption in Watts on daily use of six hours;

P_s = 'Standby Active Low Mode' power consumption in Watts on daily use of twelve hours;

kWh/annum = Kilo Watt hour per annum.

(b) shall be calculated using the typical on-mode and standby active low mode power consumption based on an average hour of watching television a day and multiplied by 365 days a year without taking into consideration the screen size.

(c) measurements of power of 0.5 Watt or greater shall be made with a relative uncertainty of less than or equal to 2% at the 95% confidence level and the measurements of power of less than 0.5 Watt shall be made with an uncertainty of less than or equal to 0.01 W at the 95% confidence level.

(3) Standby Power Consumption-

(i) The Standby Power Consumption for all television shall be the Standby active low mode power consumption;

(ii) Standby Power Consumption will be measured as per IEC 62087-3;

Note.- For calculation of Ps value, standby passive mode will be used, provided the Ultra-High Definition television does not have Wi-Fi capabilities. However, for Ultra-High Definition television with Wi-Fi capabilities, standby active low mode power consumption shall be measured for calculation of Ps.

(iii) Standby Passive Power Consumption shall be ≤ 0.5 watts; and

(iv) Measurements of power of 0.5 W or greater shall be made with an uncertainty of less than or equal to 2% at the 95% confidence level. Measurements of power of less than 0.5 W shall be made with an uncertainty of less than or equal to 0.01 W at the 95% confidence level. The power measuring instrument shall have a resolution of.-

(a) 0.01 W or better for power measurements of 10 W or less;

(b) 0.1 W or better for power measurements of greater than 10 W up to 100 W; and

(c) 1 W or better for power measurements of greater than 100 W.

Provided that for equipment connected to more than one phase, the power measuring instrument shall be equipped to measure the total power of all phases connected and

provided further that for more information about the determination of uncertainty of measurement, refer to International Electro technical Commission 62301:2011, Annexure D

(4) Words and expressions used herein and not defined, but defined in Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Star level or star rating plan.** – (1) There shall be a label affixed on Ultra-High Definition television which shall display a maximum of five stars with an interval of one star based on their relative annual energy consumption. The star rating plan for the Ultra-High Definition television shall be determined by Annual Energy Consumption in kilo Watt hours (kWh) per annum, which shall be obtained by substituting screen area in square centimetres in equations as specified in Table 3.1.

The star rating plan shall be based on Annual Energy Consumption and the corresponding screen area of a particular model. The AEC corresponding to the screen area shall be calculated using the following equation:

$AEC = (X \times A) + Y$ Where:

AEC (in kWh/year) = Annual Energy consumption

A (in square centimetres) = the effective or viewable screen area calculated by multiplying the display/ screen width by the display or screen height

X (in kWh/year/sq.cm) = On Mode power consumption in watts x hours of operation in 'On Mode' x 365/1000

Y (in kWh/year) = Standby active low mode power consumption in watts x hours of operation x 365/1000.

Table 3.1

(Valid from 01st July, 2023 to 31st December, 2024)

Star rating band	Ultra-High Definition 4K Television (Annual Energy Consumption (kWh/annum))		
1 Star	$0.0271 \times A + 6.226$	$< AEC \leq$	$0.0325 \times A + 6.226$
2 Star	$0.0217 \times A + 6.226$	$< AEC \leq$	$0.0271 \times A + 6.226$

3 Star	$0.0174*A + 6.226$	$<AEC \leq$	$0.0217*A + 6.226$
4 Star	$0.0139*A + 6.226$	$<AEC \leq$	$0.0174*A + 6.226$
5 Star		$AEC \leq$	$0.0139*A + 6.226$

Note: The values of various star level bands for particular model and the star level chosen for that model shall be based on the lower and upper limits of each star level band as mentioned in Table 3.1.

(2) There shall be no negative tolerance for the star rating levels and all tested equipment shall meet the minimum threshold for each star rating level, and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating, keeping in view the following points for rounding off, namely:-

- the values of annual energy consumption (kWh per annum), shall be rounded and recorded upto two decimal places;
- the values of power consumption (W) shall be rounded and recorded upto two decimal places;
- the values of screen size (centimetre) shall be rounded and recorded upto two decimal places; and
- all the values shall be rounded off to respective decimal places, as per IS 2:1960 or any editions that may supersede this standard.

4. Testing methods.- (1) For the purpose of determining the star level of a Ultra-High Definition television, the following test standards specified in Table 4.1: shall be used, namely:-

Table 4.1: Testing Standards

Test Parameters	Test Standards
On Mode Power Consumption	IEC 62087-3, 2015, Edition 1.0 (with all amendment as on date) Audio, video, and related equipment – Determination of power consumption-Part 3: Television sets
Standby Mode Power Consumption (Measurement of power consumption in the Off mode, Standby Passive mode, Standby Active Low mode)	
Peak Luminance Ratio	
Safety Requirements	IS 616: 2017/IEC 60065:2014 Edition 8.0 (with all amendment as on date) Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

(2) Prequalification Criteria: The Ultra-High Definition television should meet the following requirements as specified in above Table 4.1 to participate in BEE labelling program namely:-

- Peak illuminance ratio $\geq 65\%$;
- Standby passive mode power consumption $\leq 0.5W$; and
- Safety requirements.

NOTE.-Off mode power consumption and Power factor shall be reported in the prescribed test report format as given in the notification and their value shall be for records and they shall not be a pre-qualification criteria and

Also, In the case of safety requirements, the product should be certified under BIS compulsory registration scheme supported by valid document regarding conformity of the product as per IS 616 under compulsory registration scheme.

(3) (a) The power consumption in 'on mode' and 'Standby Active low' mode shall be measured as per the standards mentioned in the Table 4.1 and shall be expressed in Watts;

(b) The values of power consumption will be represented as P_a (in Watt) for 'on mode' and P_s (in Watt) for 'Standby Active Low mode'; and

(c) Annual energy consumption calculated based on P_a and P_s , shall not be more than five per cent of the rated value.

(4) Energy consumption for the 'on mode' power consumption shall be measured in the default picture mode (home viewing mode), however, if this mode is unavailable, energy consumption shall be measured for brightest selectable pre-set picture mode.

(5) 'On mode' power consumption shall be measured only after disabling Automated Brightness Control function for television with ABC sensors.

5. **Test report.**—The results of test of each unit shall be reported in the Annexure A.

Annexure A

Form for reporting the result of test

Test Report No:

Date of Test:

1. Ultra-High Definition television Product Details.

S.No.	Ultra-High Definition television Product Details	Measured Value / Remarks
1.	Brand:	
2.	Type:	
3.	Model name: (if applicable)	
4.	Model number:	
5.	Rated input voltage or voltage range (V):	
6.	Rated Screen Size (cm.):	
7.	Rated Screen Area (sq. cm.):	
8.	Rated Energy Consumption (kWh/year):	
9.	Standby Passive Power Consumption (W):	

2. ULTRA-HIGH DEFINITION TV Configuration

S. No.	Test	Measured Value/Remarks
1	Input Terminal	
2	Contrast/ Brightness	
3	Power saving functions	
4	Sound Level	
5	Period (Dynamic signal)	
6	Calculated Area (sq. cm)	

3. Test Set Up

General condition requirements for Power Source

S. No.	Test	Measured Value/Remarks
1	Main battery connection	
2	External power supplies	
3	Mains power	
4	Power from other than the mains	
5	Power source, On mode	
6	Power source, Partial On and Off modes	

Initial activities

S. No.	Test	Measured Value/Remarks
1	Cool down	
2	Main batteries	
3	Plug-in module	

4	Installation	
5	Application of input signals	
6	Luminance measuring device setup	
7	Light source setup	
8	Power on	
9	TV settings: Default settings	
10	TV settings: Input source selection	
11	TV settings: Satellite feature	
12	TV settings: Additional functions	
13	TV settings: Special functions	
14	TV settings: Video size, aspect ratio, and resolution	
15	TV settings: Sound level adjustments	
16	TV settings: Networking	

4. Measuring Equipment for Luminance testing and power measurements

S. No.	Nomenclature (Description of the Measuring Equipment)	Make	Model	Resolution/ Accuracy	Calibration validity Date
1	Power measurement				
	a Wattmeter				
	b Wattmeter with averaging function				
	c Watt hour meter				
2	luminance measuring device (LMD)				
3	Illuminance measuring Instrument				

5. Test Results: Measurement method used IEC 62087-3, 2015 (to be submitted for each of 3 units tested)

a. Luminance Testing

S. No.	Test	Measured Value
1	Peak luminance, default picture setting, L_{DEFAULT}	
2	Determination of power factor	
3	Determination of brightest selectable preset picture setting	
4	Peak luminance, brightest selectable preset picture setting, $L_{\text{BRIGHTEST_SELECTABLE}}$	
5	Peak luminance, retail picture setting, L_{RETAIL}	
6	Peak luminance, overall brightest pre-set picture setting, $L_{\text{BRIGHTEST}}$	
7	Peak luminance ratio, $L_{\text{DEFAULT}} / L_{\text{BRIGHTEST}}$	

a. Standby Mode Power Consumption Testing

S. No.	Test	Measured Value
1	Off mode (W)	
2	Standby Passive mode (W)	
4	Standby Active Low mode (W)	
5	Total	

b. On-Mode Power Consumption Testing: On mode Power Measurement using Static, Dynamic, and Internet Content Video Signal

(i) Preparation

S. No.	Test	Measured Value
1	Power Source Voltage and Frequency (IEC 62087-3 clause 6.2.2),	
2	Input Terminals (IEC 62087-3 clause 6.2.3)	
3	Video Signal, On Mode Power Consumption Procedure (IEC 62087-3 clause 6.2.4)	
4	Video Signal, Peak Luminance Ratio Procedure (IEC 62087-3 clause 6.2.5)	
5	Video Format (IEC 62087-3 clause 6.2.6)	
6	Automatic Brightness Control Capabilities (IEC 62087-3 clause 6.2.3)	
7	Automatic Brightness Control Levels (IEC 62087-3 clause 6.2.7)	
8	Network Connection Capabilities (IEC 62087-3 clause 6.2.8)	
9	Default Settings (IEC 62087-3 clause 6.3.10.1)	
10	Input source selection (IEC 62087-3 clause 6.3.10.2)	
11	Satellite feature (IEC 62087-3 clause 6.3.10.3)	
12	Additional functions (IEC 62087-3 clause 6.3.10.4)	
13	Special functions (IEC 62087-3 clause 6.3.10.5)	
14	Video size, aspect ratio, and resolution (IEC 62087-3 clause 6.3.10.6)	
15	Sound level adjustments (IEC 62087-3 clause 6.3.10.7)	
16	Networking (IEC 62087-3 clause 6.3.10.8)	

ii. Determination of power consumption, On mode

S. No.	Test	Measured Value
1	On Mode Power Measurements using static video signals (IEC 62087-3 clause 6.4.5.2)	
2	On Mode Measurements using the dynamic broadcast- content video signal (IEC 62087-3 clause 6.4.5.3)	
3	On Mode Measurements using the Internet-content video signal (IEC 62087-3 clause 6.4.5.4)	

iii. Test Summary

S. No	Test	Declared/Rated value		Observed value	
		Sample 1	Sample 2	Sample 1	Sample 2
1	Off mode Power Consumption (W)				

2	Partial ON Mode (standby passive, active low Power Consumption (W) NOTE: The measured value of standby passive and standby active low mode should be reported separately)						
3	Power factor						
4	Peak Luminance Ratio						
5	ON mode Power Consumption (W)						
6	Annual Energy Consumption (kWh/year)						
7	Pa	<Average of three results>					
8	Ps				<Average of three results>		

Calculations: Annual Energy Consumption (AEC) = [(6 x Pa) + (12 X Ps)] x 0.365 kWh/year

[F. No. 10/2/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2023

का.आ. 1222(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, -

- (क) विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसे टेलीविजनों के सिवाय, जिनमें नॉन-रिमूवेबल मुख्य बैटरी वाले और कंप्यूटर मॉनिटर सम्मिलित हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बैकलाइटिंग, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, क्वांटम डॉट्स लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, माइक्रो-लाइट एमिटिंग डायोड माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए 4K प्रौद्योगिकी के 3840 x 2160 पिक्सल के नेटिव रिज़ोल्यूशन वाले अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन, जो 250 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज तक की वोल्टेज पर केवल बाहरी विद्युत आपूर्ति द्वारा संचालित किए जा सकते हैं, लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित करेंगे; और
- (ख) निदेशित करती है कि भारत में विनिर्मित किए, व्यावसायिक रूप से खरीदे, आयात किए या विक्रीत किए जा रहे साधित्र या साधित्रों के वर्ग के लेबल पर विशिष्टियां, भारत के राजपत्र आसाधारण भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित सं. बीईई/एसएंडएल/यूएचडी/02/2022-23 के अनुसार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रीति से संप्रदर्शित किए जाएंगे।

[फा. सं. 10/2/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2023

S.O. 1222(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby,-

- (a) specifies that the Ultra-High Definition televisions with native resolution of 3840 x 2160 pixels of 4K technology for Liquid Crystal Display with Light Emitting Diode back lighting, Organic Light Emitting Diode displays, Quantum dot Light Emitting Diode displays, Micro-LED displays which can be powered only by an external power supply at a voltage not exceeding 250 V ac, 50 Hz, excluding televisions that includes a non-removable main battery and computer monitors, shall display particulars on label; and
- (b) directs that any appliance or class of appliances being manufactured, commercially purchased, imported or sold in India shall display the particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra-High Definition Televisions) Regulation, 2023, vide No. BEE/S&L/UHD/02/2022-23 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

[F. No. 10/2/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032023-244154
CG-DL-E-04032023-244154

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]
No. 154]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 मार्च, 2023

सं.बीईई/एसएंडएल/यूएचडी/02/2022-23.—प्रारूप विनियम अर्थात्, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित अनुसार अधिसूचना सं. बीईई/एसएंडएल/अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन/02/2022-23 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें इससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 01 अगस्त, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अब, इसलिए, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ढ) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजनों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ग) "लेबल" से अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाई गई अथवा संप्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
- (घ) "लेबल की अवधि" से धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक के अधीन तुलनात्मक बिजली की उपभोग की वैधता अवधि अभिप्रेत है और यदि तुलनात्मक बिजली उपभोग की वैधता अवधि की समाप्ति अवधि अधिसूचित नहीं की जाती है तो इसे तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते हैं;
- (ङ) "मॉडल या मॉडलों का परिवार" से एक विशेष ब्रांड के मॉडल या मॉडल की श्रेणी अभिप्रेत है, जिसके लिए परीक्षण रिपोर्ट का एक सेट लागू होता है और जहां प्रत्येक मॉडल में समान प्रकार की भौतिक विशेषताएं, बिजली की वार्षिक उपभोग, ऊर्जा दक्षता स्तर और निष्पादन विशेषताएं हैं;
- (च) "अनुज्ञापत्रधारी" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति या ऐसा अभिकरण से है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;
- (छ) "स्टार रेटिंग या स्टार लेबल" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक के लेबल पर संप्रदर्शित किया गया ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है, जिसमें अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन की तुलनात्मक बिजली उपभोग को दर्शाया जाता है;
- (ज) लेबल लगे अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के संबंध में "व्यापारी अथवा विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का विक्रय अथवा वितरण करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा प्राप्त अनुज्ञापत्रधारी सम्मिलित हैं।
- (i) "अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन" से अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन की अधिसूचना 14(ख) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक उपकरण अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. लेबल पर संप्रदर्शित किया जाने वाला विवरण - (1) प्रत्येक अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाए जाने वाले लेबल पर निम्नलिखित विवरण संप्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात्-

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
- (ख) उपस्कर का प्रकार;
- (ग) ब्रांड;
- (घ) मॉडल संख्यांक और निर्माण या आयात का वर्ष;
- (ङ) स्क्रीन का आकार सेंटीमीटर में (स्क्रीन का आकार पूरी स्क्रीन पर सेंटीमीटर में तिरछे मापा जाता है);
- (च) वार्षिक ऊर्जा उपभोग प्रति वर्ष कि.वाॅट घंटा में;
- (छ) विशिष्ट श्रृंखलाकोड
- (ज) स्टार का स्तर; और
- (झ) लेबल अवधि;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और विवरण इन विनियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

4. लेबल संप्रदर्शित करने की समय-सीमा - (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला एक लेबल प्रत्येक अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर संप्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानकों के आरंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता -

- (क) पिछले ऊर्जा उपभोग मानकों के साथ अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का उत्पादन नहीं करेगा।
- (ख) पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर पुनरीक्षित स्टार स्तर और पुनरीक्षित लेबल अवधि संप्रदर्शित करेगा तथा अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का विनिर्माण वर्ष भी संप्रदर्शित करेगा।
- (ग) इन विनियमों के अधीन डीलरों, खुदरा विक्रेताओं के बारे में जागरूकता, उनकी जानकारी के साथ-साथ उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए उठाए गए सभी कदम सुनियोजित तथा पूर्वविहित होंगे।

5. लेबल संप्रदर्शित करने की रीति - (1) लेबल को यूनिट के सामने के हिस्से पर चिपकाया जाएगा और यह विनियम 3 के उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लेबल प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यूनिट या मॉडल पर पहचान के उद्देश्य के लिए बिक्री स्थल या हायर स्थल पर दिखाई दे और लेबल को यूनिट या मॉडल के पैकेजिंग बॉक्स के बाहरी हिस्से पर भी मुद्रित किया जाएगा या चिपकाया जाएगा।

(2) संप्रदर्शित न की जाने वाली यूनिटों के लिए, लेबल को अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के आवरण के बाहरी हिस्से से जोड़ा जा सकता है और यूनिट को उसकी पैकेजिंग से निकाले जाने पर लेबल को यूनिट से जोड़ा जा सकता है या लेबल को ग्राहक या उपयोगकर्ता को दिए गए दस्तावेज के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

6. लेबल संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा - (1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।

(2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण - ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जैसा कि प्ररूप 1-(क) में विनिर्दिष्ट है, जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली द्वारा देय एक लाख रुपए का लेबल सुरक्षा फीस संलग्न होगा।

परंतु कि लघु उद्योग के मामले में, लेबल सुरक्षा फीस केवल पच्चीस हजार रुपए होगा।

(3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण - उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी के प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा -

- (क) प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन फीस, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय होगा; और
- (ख) भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में देय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस।
- (ग) प्ररूप 1-(ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज।

7. अनुज्ञा प्रदान करना - (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो विनियम 8 में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन मानकों और लेबलिंग अर्थात्: घरेलू उपकरणों में स्टार लेबलिंग का प्रसार पर अपने मैनुअल में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, -

- (क) प्ररूप 2-(क) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड को रजिस्ट्रीकृत कर सकता है; और
- (ख) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर प्ररूप 2-(ख) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेबल लगाने की अनुज्ञा दे सकता है।

(2) ब्यूरो प्ररूप 3 में एक रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम दर्ज करेगा।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन दी गई अनुज्ञा उस अवधि तक के लिए वैध होगी जिसके लिए धारा 14 के खंड(क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर लागू है।

(4) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति के एक मास पहले किया जाना चाहिए और इसके फीस के रूप में एक हजार रुपए इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा।

परंतु स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपए के उक्त नवीनीकरण फीस से छूट दी जाएगी।

(5) वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और इस मामले में अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन पत्र देना होगा।

- (6) उप विनियम (4) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और समाधान हो जाने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप 2 में अनुज्ञा को नवीकरण कर सकेगा।
- (7) जिस तारीख से पुनरीक्षित स्टार स्तर लागू होता है, उस तारीख से अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के विद्यमान मॉडल पर लेबल लगाना जारी रखने की अनुज्ञा मांगने वाला अनुज्ञापत्रधारी प्ररूप 4 के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (8) यदि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ सिंक्रोनाइज़ करते हुए लॉन्च किया जाना है, तो अनुज्ञापत्रधारी को नए सिरे से लेबल लगाने की अनुज्ञा लेनी होगी, और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पुनरीक्षित स्टार स्तर लागू होने से छह मास पहले किया जाएगा।

8. लेबल पर विवरण संप्रदर्शित करने के लिए निबंधन एवं शर्तें - प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता लेबल पर विवरण संप्रदर्शित करने में निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों का पालन करेंगे, अर्थात्:-

- (क) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लिए ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा;
- (ख) लेबल केवल अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
- (ग) लेबल को अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर मुद्रित और चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
- (ङ) अनुज्ञापत्रधारी विनियम 9 में विविनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपस्कर के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग फीस का विवरण होगा;
- (छ) अनुज्ञापत्रधारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल के 30^{वें} दिन तक अपने लेबल वाले उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त अधिकृत वितरक, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा;
- (ज) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता ऐसी अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करेंगे जिन्हें ब्यूरो विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसमें मानकों और लेबलिंग अर्थात्: घरेलू उपस्कर में स्टार लेबलिंग का प्रसार पर ब्यूरो की नियमावली, अर्थात् दिशा में सम्मिलित है।

9. लेबल फीस- (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी को अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाए गए प्रत्येक लेबल के लिए ब्यूरो को तीस रुपए का लेबल फीस देना होगा;

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से किया जाएगा:

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में असफल होने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप विनियम (3) के खंड (ख) के अधीन जमा की गई लेबल सुरक्षा रकम से दस प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ देय रकम की वसूली कर सकता है और यदि जमा करने की अंतिम तारीख के एक वर्ष के भीतर पूर्ण लेबलिंग फीस की वसूली नहीं की जाती है और ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को दिए गए सभी लेबलों को रद्द कर सकता है और एक चूककर्ता के रूप में समाचार-पत्रों में अनुज्ञापत्रधारी का नाम प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल सुरक्षा जमा रकम की वापसी- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन, अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का विनिर्माण बंद करने पर अनुज्ञापत्रधारी लेबल सुरक्षा फीस की वापसी का पात्र होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन - (1) ब्यूरो या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या उसके द्वारा प्राप्त शिकायत पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर सकता है कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन, स्टार स्तर और उसके लेबल पर संप्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और यह कि यह अनुज्ञा की अन्य निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करता है।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, नमूने को ब्यूरो या उसकी नामनिर्दिष्ट अधिकरण द्वारा, जैसा वह उचित समझे, विनिर्माण सुविधा केंद्र, गोदाम या खुदरा बिक्री केंद्र से यादृच्छिक रूप से लिया जाएगा।

(3) जहां, उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त शिकायत पर, ब्यूरो को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक्तः प्रत्यायित एक स्वतंत्र प्रयोगशाला में कमरे के अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का परीक्षण करके सत्यापन करना

आवश्यक है, और ऐसे परीक्षण करने के लिए प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को एक नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और अन्य आकस्मिक खर्चों से संबंधित ऐसे खर्चों को ब्यूरो को ऐसी समयावधि, जैसा कि ब्यूरो द्वारा विहित की जाएगी, जमा करने के लिए कहा जाएगा, और यदि चुनौती परीक्षण के अधीन लिया गया नमूना असफल हो जाता है, तो विनिर्दिष्ट सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति ब्यूरो को अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को उपर्युक्त खर्च वापस कर देगा; और जहां उपस्कर चुनौती परीक्षण पास करता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए खर्च को जब्त कर लिया जाएगा।

(4) जहां परीक्षण के लिए उपयोग किए गए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलिविजन का कोई नमूना स्वतः परीक्षण या चुनौती दिए गए परीक्षण के दौरान परीक्षण में असफल रहता है, वहां ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को एक और अवसर प्रदान करेगा तथा ब्यूरो किसी स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में पहले परीक्षण में उपयोग किए गए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलिविजन की दोगुनी मात्रा के साथ दूसरा परीक्षण करेगा, जो उस प्रयोगशाला से अलग है जहां पहला जांच परीक्षण किया गया था और यह अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक्तः प्रत्यायित होगा। परंतु ब्यूरो उप-विनियम (3) में उल्लिखित चुनौती परीक्षण या उप-विनियम (4) में उल्लिखित दूसरे परीक्षण तथा नमूने की खरीद और परीक्षण पर किए जाने वाले व्यय को देखने के लिए प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को सूचित करेगा।

(5) जहां दूसरा परीक्षण असफल हो जाता है, वहां ब्यूरो -

(क) सभी राज्य विनिर्दिष्ट एजेंसियों को अवगत कराते हुए प्ररूप 6 में अनुज्ञापत्रधारी को निर्देश देगा कि वह दो मास की अवधि के भीतर, -

(i) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलिविजन के लेवल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल को ठीक करे या परीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और दोषों को दूर करे;

(ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले ले; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदल दे।

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से, जैसा वह उचित समझे, किसी भी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करें;

(ग) संबंधित राज्य विनिर्दिष्ट अधिकरण को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करें।

(6) अनुज्ञापत्रधारी, उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट दो मास की अवधि के समापन के दस दिनों के भीतर,-

(क) निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप 7 में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजेगा।

(ख) यदि खंड (क) में विनिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त या प्राप्त नहीं होती है, तो इसे जारी किए गए निर्देश का अनुपालन नहीं माना जाएगा और इस संबंध में आदेश ब्यूरो द्वारा पारित किया जाएगा।

(7) ब्यूरो खंड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट और उप-विनियम (6) के खंड (ख) में पारित आदेशों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्यनामनित अधिकरणों को धारा 17 और उक्त उप-विनियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेश को लागू करने के अधीन कार्रवाई करने के उद्देश्य से भेजेगा।

(8) जहां अनुज्ञापत्रधारी उप-विनियम (5) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को निम्नलिखित की सूचना देगा, -

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को दी गई अनुज्ञा को वापस लेगा;

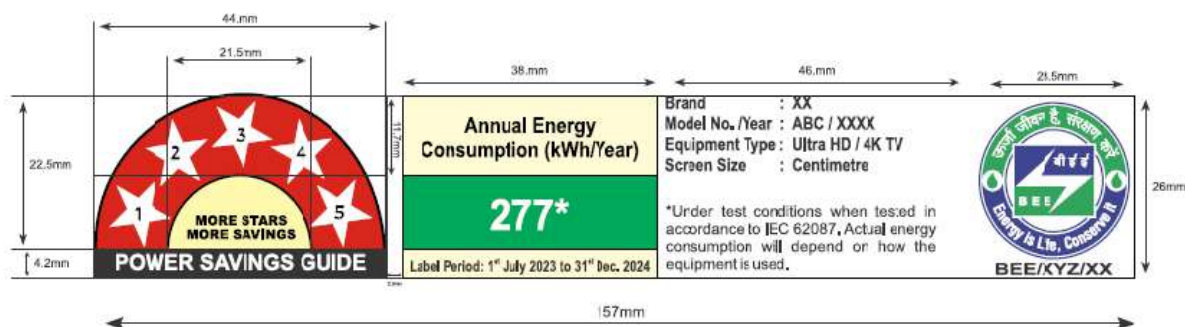
(ख) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप अनुज्ञापत्रधारी द्वारा असफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए उप-विनियम (6) का खंड (क) के अधीन ब्यूरो के निर्देश संदर्भित हैं;

(घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ आगे की न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित राज्य विविनिर्दिष्ट अभिकरणों को सूचित करेगा।

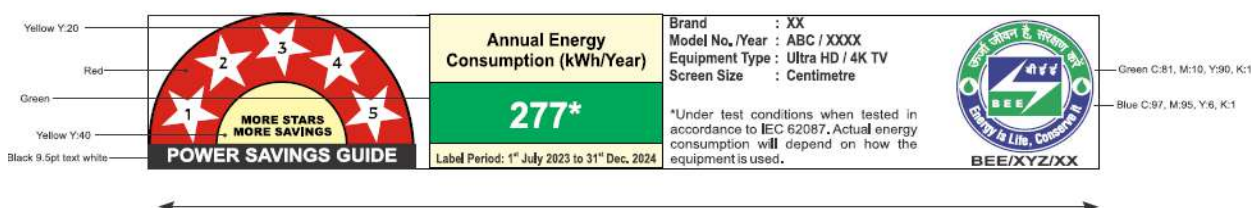
(घ) परंतु कोई भी अनुज्ञा तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञापत्रधारी को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

[विनियम 3 (2) देखें]

(i) आयामः



(ii) रंग स्कीम:



प्रकाश या हल्कापन (एल):28, रंगीन घटक -ए:24 बी:54

लाल (आर):54 हरा (जी):55 नीला (बी):151

सियान (सी):97% मैजेंटा (एम):95% पीला (वाई):6% काला (के):1%

वेब रंग कोड - #363797

हरा -

ह्यू (एच) -150° सेचुरेशन (एस):10% चमक (बी):67%

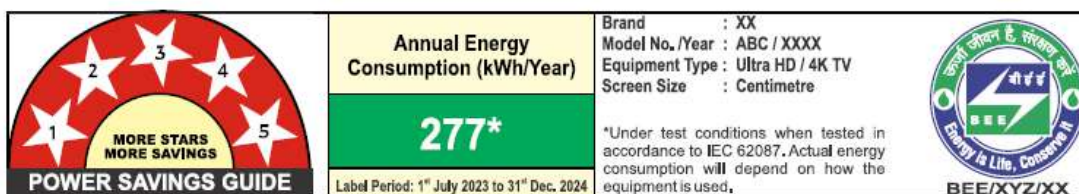
प्रकाश या हल्कापन (एल):61, रंगीन घटक-ए:-53 बी:32

लाल (आर):0 हरा (जी):170 नीला (बी):87

सियान (सी):81% मैजेंटा (एम):10% पीला (वाई):90% काला (के):1%

वेब रंग कोड - #00AA56;

(iv) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लिए मुद्रित लेबल का पूरा नमूना :



(2) लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ कार्डबोर्ड से निर्मित होगा, यदि इसे लटकते टैग के रूप में जोड़ा जाना है, या स्वयं चिपकने वाला हो और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाई गई आउटलाइन में से किसी एक को काटा जाएगा।

प्ररूप 1- (क)

[विनियम 6(2)देखें]

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली - 110066

भारत।

1. मैं/हम अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के निर्माता हूँ/हैं जो.....शीर्षक के अधीन..... (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) के अधीन.....(पूरा व्यावसायिक पता) कारोबार कर रहा/रहे हूँ/हैं, एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन पर विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता/करते हूँ/हैं।

2. उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण प्रसुविधा और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण उपाबंध में दिया गया है। फर्म या सोसायटी के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (छोटे स्तर की यूनिटों के मामले में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण-पत्र की एक फोटोकॉपी या फर्म और उसके विनिर्माण परिसर के नाम को प्रमाणित करने वाले ऐसे अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।
- (क) आवेदक अथवा अधिकृत व्यक्ति: (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकारियों की ओर से इस आवेदन को करने के लिए अधिकृत है और इस आवेदन के साथ दी गई जानकारी की सटीकता के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ख) संपर्क व्यक्ति:..... (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति के रूप में अधिकृत है।
- (क) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में कोई भी परिवर्तन होने पर ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/हैं।
3. उक्त उपस्कर के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े तथा मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार इनका मूल्य इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछले वर्ष.....सेतक चालू वर्षसेतक (अनुमान)			

4. एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए, जैसा भी मामला हो, के लेबल सुरक्षा फीस का भुगतान तारीख.....के डिमांड ड्राफ्ट सं...../इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा (केवल लेबल सुरक्षा फीस जमा करने के समय ही भरा जाए) किया गया है।
5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार लेबलिंग फीस का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने हेतु अधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
8. मैं/हम वचन देता/देते हूँ/हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल खारिज किया जा सकता है।

.....दिन.....मास.....(वर्ष) को हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कृते और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अभय बाकरे, महानिदेशक,

[विज्ञापन-III/4/असा./680/2022-23]

उपाबंध

[प्ररूप 1-(क) का पैरा 2 देखें]

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में संलग्नक: (क) विनिर्माण या व्यवसाय परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ (ख) ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र (ग) लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदि लागू हो (घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	हां/ नहीं
(ड.) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र (च) भारतीय मानक अनुज्ञप्ति ब्यूरो, यदि लागू हो (छ) डिमांड ड्राफ्ट (सुरक्षा जमा)/ ऑनलाइन भुगतान किए जाने की स्थिति में भुगतान रसीद	

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक विनिर्माण प्रसुविधाओं के मामले में एक अलग सारणी प्रदान की जाए)

विनिर्माण प्रसुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य/ देश	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई हो)	

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कृते और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 1 - (ख)

[विनियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली - 110066

भारत

1. मैं/हम अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के रजिस्ट्रीकृत निर्माता या आयातक हैं जो..... (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) के शीर्षक के अधीन.....(पूर्ण व्यावसायिक पता) पर कारोबार कर रहे हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विवरण और अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार यूएसडी टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करते हैं।
2. विनिर्माण प्रसुविधा : उपर्युक्त उपस्कर..... (कंपनी का नाम) द्वारा निर्मित या आयात किया जाता है और..... (कारखाने का नाम और पता) पर निर्मित होता है।
3. सूचना का विवरण : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण उपाबंध में दिया गया है। फर्मों के रजिस्ट्रार या सोसायटी/उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण-पत्र की एक फोटोप्रति या फर्म और उसके निर्माण परिसर के नाम को प्रमाणित करने वाले ऐसे अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।
- (क) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति : (नाम और पदनाम) कंपनी / फर्म / आदि की ओर से इस आवेदन को करने के लिए अधिकृत है, और वह इस आवेदन के साथ दी गई जानकारी के संबंध में सटीकता और प्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ख) संपर्क व्यक्ति : (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।
- (ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी भी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देते हैं।
4. मानकों से अनुरूपता: (1) मैं/हम(उपस्कर का नाम) के लिए..... (अधिसूचना का शीर्षक) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार..... भारतीय मानक/अन्य(मानक का नाम और संख्यांक) के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली अथवा अन्य मानक के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता/करते हैं/हैं।
- (2) मैंने/हमने अपनी/हमारी आंतरिक प्रयोगशाला.....में या राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की प्रत्यायित प्रयोगशाला.....(प्रयोगशाला का नाम और पता) में जांच के लिए परीक्षण की व्यवस्था की है जो कानूनी आदेश.....में विनिर्दिष्ट अनुसार मानकीकरण/ अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन मानकों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोग शाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोग शालाया अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग शाला प्रत्यायन सहयोग या एशिया

प्रशांत प्रयोग शाला प्रत्यायन सहयोग या समकक्ष निकायों द्वारा उपकरणों की गुणवत्ता के साथ-साथ सुसंगत भारतीय मानकों/अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यायित है।

प्रयोगशाला का विवरण:

(क) प्रत्यायन बोर्ड:

(ख) प्रत्यायन की स्थिति:

(i) प्रयोग शाला के लिए: (हाँ/नहीं)

(ii) परीक्षण मानकों के लिए: (प्रासंगिक उत्पाद मानक का नाम/संख्यांक विनिर्दिष्ट करें)

(ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन:

5. उक्त उपस्कर के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार उनका मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपस्कर की एमआरपी (रु.)
_____ से _____ तक अंतिम वर्ष			
_____ से _____ तक वर्तमान वर्ष (अनुमान)			

6.(क) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान किए गए दो हजार रुपए का आवेदन फीस।

(ख) एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए के लेबल सुरक्षा फीस का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया गया है।

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करूंगा/करेंगे।

8. मैं/हम ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने हेतु अधिकृत करता/करते हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल रद्द किया जा सकता है।

तारीखदिन.....(वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कृते और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध

[प्ररूप 1 - (ख) का पैरा 3 देखें]

सूचना का विवरण

1. उत्पाद/उपस्कर विवरण

1.1 साधारण (लागू अनुसार विवरण भरें)

उपस्कर और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम और संख्यांक
स्क्रीन का आकार (सें.मी.)
स्क्रीन का एरिया (वर्ग सें.मी.)
वोल्टेज/वोल्टेज रेंज
विनिर्माण का वर्ष
बीआईएस प्रमाणपत्र विवरण (यदि कोई हो) (अनुज्ञप्ति/प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)
स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी विशिष्टता (लागू अनुसार विवरण भरें)

(क) परीक्षणमूल्य:

क्र. सं.	मॉडल का नाम/ संख्यांक	आंका गया मूल्य				घोषित मूल्य				टिप्पणियां
		स्क्रीन का आकार (सें.मी.)	स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	ऊर्जा उपभोग (किलोवाट/ वर्ष)	स्टार लेवल या आंका गया ऊर्जा दक्षता स्तर	स्क्रीन का आकार (सें.मी.)	स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	ऊर्जा उपभोग (किलोवाट/ वर्ष)	स्टार लेवल या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति (i) प्रयोगशाला के लिए (ii) सुसंगत मानकों के लिए (मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	हां/नहीं
मान्यता की वैधता (इसके समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नं.	
फैक्स नं.	

ईमेल	
वेबसाइट	

3. लेबलिंग सूचना

प्रारंभ होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए लागू लेबलों की संख्यांक	
क) पहले वर्ष के लिए—	
ख) दूसरे वर्ष के लिए—	
ग) तीसरे वर्ष के लिए—	
उत्पाद क्र.सं.	_____ से _____ तक

4. नमूनाविवरण:

मॉडल या मॉडल का परिवार (यदि लागू हो)	मॉडल का नाम/ मॉडल नं.
मूल मॉडल	
लघु मॉडल	

5. अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दर्शाया गया है:

[मॉडलों के परिवार (यदि लागू हो) के लिए अलग नमूना संलग्न करें]

	Annual Energy Consumption (kWh/Year) 277* Label Period: 1st July 2023 to 31st Dec. 2024	Brand : XX Model No./Year : ABC / XXXX Equipment Type : Ultra HD / 4K TV Screen Size : Centimetre *Under test conditions when tested in accordance to IEC 62087. Actual energy consumption will depend on how the equipment is used.  BEE/XYZ/XX
---	---	--

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कृते और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 2 - (क)

[विनियम 7(1)(क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञा

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

.....

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो इस पत्र के उपाबंध में विहित अनुमोदन के विवरण के अनुसार अपने ब्रांड को रजिस्ट्रीकृत करने की अनुज्ञा देता है।
2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है-
 - (क) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऊर्जा उपभोग मानकों और उपर्युक्त विनियमों में प्रदान की गई निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप होगा;
 - (ख) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल की छपाई की जाएगी और चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को हर समय बनाए रखा जाएगा;
 - (ङ) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार लेबल फीस का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय लेबल उपस्कर और उस पर अर्जित लेबलिंग फीस का विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। यही विवरण स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को भी भेजे जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा जब भी मांगा जाए, अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऐसे अन्य विवरण भी उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
3. अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा को छोड़कर, वैधता अवधि के दौरान बाजार से रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन को वापस नहीं लेगा।
4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड.....है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर प्रदर्शित होना चाहिए।

आज.....दिन..... मास..... वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप 2-(क) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

1. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम:
2. विशिष्ट श्रृंखलाकोड:
3. अन्य विवरण (यदि लागू हो):

तारीख.....

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 2 - (ख)

[विनियम 7(1)(ख) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा / नवीनीकरण

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

.....

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो इस पत्र के उपाबंध में विहित अनुमोदनों के विवरण के अनुसार आपको लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।
2. यह अनुज्ञा इस शर्त के अधीन है कि-
 - (क) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संसंप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड(क) के अधीन अधिसूचित अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लिए ऊर्जा उपभोग मानक और उपर्युक्त विनियम में प्रदान की गई निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप होगा;

- (ख) लेबल केवल अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
- (ग) लेबल को अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर मुद्रित या चिपकाया जाएगा;;
- (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर संप्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
- (ङ) अनुज्ञापत्रधारी तीस रुपए प्रति लेबल फीस का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपस्कर के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए देय उपार्जित लेबलिंग फीस का विवरण होगा;
- (छ) यही विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भेजा जाएगा;
- (ज) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा जब भी मांगा जाए, अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऐसे अन्य विवरण भी उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
3. यह अनुज्ञा.....से.....तक मान्य होगी और इसे विहित अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर, वैधता अवधि के दौरान अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन को बाजार से वापस नहीं लेगा।
4. उपस्कर के लिए ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा कर के स्टार स्तर की योजनाओं को पुनरीक्षित किया जाता है, अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के स्टार में निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाएगा :-
- (क) यदि नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ सिंक्रोनाइज़ करते हुए लॉन्च किया जाता है, तो ऐसी अनुज्ञा के लिए एक आवेदन ब्यूरो को उस तारीख से छह मास पहले किया जाएगा, जब से नया स्टार स्तर लागू होता है;
- (ख) जहां विद्यमान मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर को प्रभावी करना जारी रखता है, वहां केवल प्ररूप 4 में एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी।
6. आज.....दिन..... मास.....वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप 2 का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों का विवरण

1. उपस्कर का विवरण

उपस्कर और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम
मॉडलकानाम/ संख्यांक
स्क्रीन का आकार (सें.मी.)
स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)

वोल्टेज/ वोल्टेज रेंज
विनिर्माण का वर्ष

(क) तकनीकी विनिर्देश :

क्र.सं.	मॉडल का नाम/ संख्यांक	आंका गया मूल्य				घोषित मूल्य				टिप्पणियां
		स्क्रीन का आकार (सें.मी.)	स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	ऊर्जा उपभोग (किलोवाट/ वर्ष)	स्टार स्तर या आंका गया ऊर्जा दक्षता स्तर	स्क्रीन का आकार (सें.मी.)	स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	ऊर्जा उपभोग (किलोवाट/ वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. लेबल विवरण

उपस्कर और प्रकार	
विनिर्माता/ आयातक/ ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम/ संख्यांक	
स्टार स्तर	
स्क्रीन का आकार(सें.मी.)	
स्क्रीन एरिया (वर्गसें.मी.)	
विनिर्माण का वर्ष	
ऊर्जा उपभोग (कि.वाटघंटा/वर्ष)	
विशिष्ट श्रृंखला कोड	
लेबल अवधि	

- लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।
- अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लगाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दर्शाया गया है।
अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का लेबल (प्ररूप 2 के उपाबंध की मद सं. 3 के अधीन, निम्नलिखित नमूना लेबल को प्रति स्थापित किया जाएगा):



पत्र में प्रदान किए गए विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लगे लेबल में करना होगा।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कृते और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 3

[विनियम 7 का उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा रखे जाने वाले अनुज्ञापत्रधारी का रजिस्टर

क्र.सं.	आवेदन संख्यांक और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उन उपस्करों के ब्यौरे जिनके लिए अनुज्ञा दी गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	बीईई अनुज्ञा संख्यांक और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा फीस की रकम	द्वारा प्राप्त लेबल सुरक्षा जमा (इलेक्ट्रॉनिक (ब्यौरे): तारीख:)	प्राप्त आवेदन फीस की रकम	आवेदन फीस की प्राप्त रकम के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे): तारीख:)
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्यांक	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बीईई को देय लेबलिंग फीस की रकम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त लेबलिंग फीस के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे): तारीख:)	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप 4

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) देखें]

विद्यमान मॉडल पर लेबल लगाने की अनुज्ञा जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञापत्रधारी द्वारा घोषणा

(प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(निगमित निकाय/ अनुज्ञापत्रधारी के शीर्षनामा पर)

तारीख:

सेवा में

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चतुर्थ तल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली-110066 - भारत

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए.....से प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण संबंधी आवेदन।

1. मैं/हम अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के विनिर्माता / आयातक हूँ जो [कंपनी का पूरा पता के साथ कंपनी के अभिनाम से] [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] कारोबार चला रहा हूँ / चला रहे हैं इसके लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं, जोसे स्टार स्तर के पुनरीक्षण के लिए होगा।
2. उपर्युक्त उपस्कर [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] का विनिर्माण या आयात किया जाता है और इसका विनिर्माण (कारखाने का नाम और पता) में किया जाता है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया जाता है;
3. नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम यूएचडी के लिए तारीख को अधिसूचना संख्यांक का.आ. संख्यांक में यथाविनिर्दिष्ट सारणी के अनुसार परिवर्तन की पुष्टि करता हूँ / करते हैं। उपर्युक्त उपस्कर के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति (जिसे पूर्वतर अनुमोदन किया गया था) संलग्न है।
4. यूएचडी टेलीविजन के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।
5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार उपस्कर/ मॉडल के ब्यौरे।

मॉडल का नाम - _____

विशिष्टियां	घोषित मूल्य	
स्क्रीन का आकार (सें.मी)	--	
स्क्रीन क्षेत्र (वर्ग सें.मी.)	--	
वार्षिक बिजली उपभोग (कि.वाॅट घंटा/वर्ष)	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार स्तर के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुसार)

6. मैं/हम मैनुअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को [विद्यमान स्टार लेबल स्तर] से [पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर] में परिवर्तन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैंने उक्त अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डाटा और लेबलिंग फीस जमा कर दी है।
8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं और इस बावत में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
10. मैं/हम वचनबद्ध करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, और यदि दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तुरंत रद्द किया जाए।

तारीख:

.....का दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कृते और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 5

[विनियम 11(3) देखें]

चुनौती परीक्षा/द्वितीय परीक्षा देखने के लिए अनुज्ञापत्रधारी को सूचना

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

.....
.....
.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.....के पत्र सं.....द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन आपको अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात किया था।

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 के विनियम 11 के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आपके प्राधिकृत वितरक/व्यौहारी/खुदरा विक्रेता से बीजक संख्यांक.....तारीख.....के माध्यम से रुपए की कीमत पर लेबल लगा स्टार अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन खरीदा था तथा उसे स्वतः परीक्षण या चुनौती परीक्षण के प्रयोजन के लिए तारीख.....को एक नमूने के रूप में लिया था। पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मैसर्स.....द्वारा नमूने खरीदे गए थे, जो आपके द्वारा पूर्वोक्त खरीदे गए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाए गए थे। मैसर्स.....द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद नमूना जिसका क्रम संख्यांकथा, को सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अंतर्गत मैसर्स.....(वितरक, व्यौहारी, खुदरा विक्रेता का नाम) से प्राप्त किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स.....को तारीख.....की अधिसूचना संख्यांक का.आ..... के

पैरा 3, 4 और 5 में प्रदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने और तारीखकी अधिसूचना संख्यांक का.आ. के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

4. उत्पाद के ब्यौरे और स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अतः अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो.....(तारीख) को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित(प्रयोगशाला का नाम) से स्वतःपरीक्षण/ चुनौती परीक्षण (जैसा लागू हो) आयोजित कर रहा है।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में ब्यूरो सूचित करता है कि—

- (i) नामनिर्दिष्ट अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर को दर्शाने वाले प्राधिकार-पत्र के साथ विनिर्दिष्ट उपरोक्त तारीख को अधिकारी को चुनौती परीक्षण / दूसरा परीक्षण देखने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए (पत्र पर कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर करके मुहर लगाई जाएगी)।
- (ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक व्यय की ऐसी लागत जमा करें, जैसा कि उपाबंध में उल्लिखित किया गया है (व्यय को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जमा किया जाएगा)।

6. कृपया नोट करें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन करना जारी रखेगा, भले ही उपर्युक्त उल्लिखित व्यय समय पर जमा नहीं किया जाता है या अधिकारियों को विनिर्दिष्ट अनुसार नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के अनुसार मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

7. आज.....दिन..... मास.....वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. उत्पाद के ब्यौरे/ स्वतःपरीक्षणपरिणाम
2. उपाबंध 5 (क)
3. व्यय से संबंधित बीजक

उपाबंध

[प्ररूप 5 का पैरा 5 देखें]

सूचना के ब्यौरे

1. उत्पाद/ उपस्कर ब्यौरे

उपस्कर और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम और संख्यांक
स्क्रीन का आकार (सेंटीमीटर)
स्क्रीन क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर)
वोल्टेज/ वोल्टेज रेंज
विनिर्माण का वर्ष

बीआईएस प्रमाणपत्र ब्यौरे (यदि कोई हो) (अनुज्ञप्ति/ प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर
विशिष्ट लेबल श्रृंखलाकोड

2. ब्यूरो को जमा की जाने वाली रकम:

ब्यौरे	संख्यांक/ व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्यांक	
प्रति नमूना लागत	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण प्रभार	
परिवहन प्रभार (यदि लागू हो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम	

3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो):

ब्रांड	मॉडल	रेटेड वार्षिक ऊर्जा उपभोग (कि.वाट/वर्ष)	स्क्रीन का क्षेत्र (वर्ग सें.मी.)	स्टार रेटिंग (घोषित)	स्टार रेटिंग (जाँच परीक्षण)	टिप्पणियां

तारीख.....

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 6

[विनियम 11 का उप-विनियम (5) देखें]

द्वितीय जांच परीक्षण में असफल रहने पर अनुज्ञापत्रधारी को निदेश

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में

.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.....के पत्र सं.....के माध्यम से उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात किया गया था।

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम..... के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आपके प्राधिकृत वितरक / ब्यौहारी / खुदरा विक्रेता से बीजक संख्यांक तारीख द्वारा रुपए की कीमत पर लेबल लगा स्टार अल्ट्रा हाई डेफिनिशन टेलीविजन खरीदा था और पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त अभिकरण मैसर्स द्वारा नमूने के रूप में लिया था। जो आपके द्वारा चिपकाए गए पूर्वोक्त संख्यांक से मैसर्स द्वारा प्राप्त किया गया था जो क्रम संख्यांक से मैसर्स द्वारा प्राप्त किया गया था, जो क्रम संख्यांक सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन मैसर्स (वितरक, ब्यौहारी, खुदरा विक्रेता का नाम) से प्राप्त किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स.....को तारीख.....की अधिसूचना संख्यांक का.आ..... के पैरा 3, 4 और 5 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने और तारीखकी अधिसूचना संख्यांक का.आ. के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

4. विशिष्ट पहचान क्रमांक..... नमूने की परीक्षण रिपोर्ट का परिणाम संलग्न हैं। परीक्षण रिपोर्ट के परिणामों ने उपदर्शित किया कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का नमूना ऊर्जा उपभोग मानक, सेवा मूल्य, आदि को पूरा करने में असफल रहा है और यह आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप-1 में आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण ब्यौरे के अनुरूप नहीं था। आपके प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम पर ब्यूरो के तारीख के पत्र संख्यांक..... के माध्यम से परीक्षा परिणाम आपको भेजे गए थे। आपको राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स.....में नमूनों के दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में उपस्थित होना और देखना भी अपेक्षित था।

5. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना तारीख.....को हमारे प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स.....के माध्यम से उठाया गया था और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित हमारे प्राधिकृत अभिकरण मैसर्सद्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद करके परिवहन करके प्रयोगशाला में भेजा गया था और सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के अधीन.....से प्राप्त उक्त नमूने पर अंकित विशिष्ट पहचान क्रमांक दिया गया था।

6. दूसरी जांच के परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिसकी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा सम्यक रूप से जाँच की गई है और उस पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरे जांच परीक्षण के साक्षी के रूप में परीक्षण रिपोर्ट पर आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर भी किए गए हैं। परीक्षण के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे तारीख.....की का.आ. सं.....में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों को पूरा करने और विनिर्मित/ आयातित और बाजार में बेचे गए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाए गए लेबल पर विशिष्टियों के संप्रदर्शन जिसके लिए आपको अनुमति दी गई थी, के निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं।

7. अतः अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो निदेश देता है:-

- (i) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक किया जाए या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर किया जाए;
- (ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लिया जाए;
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों का परिवर्तन किया जाए।

8. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर उपर्युक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिनों के भीतर प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए निदेशित किया जाता है, अर्थात्..... यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो ब्यूरो, ऊर्जादक्षताब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 केविनियम 11 केउप-विनियम (6) केखंड (ख) केअनुसार इन विनियमों के अधीन कार्रवाई करने के लिए आगे कदम उठाएगा।

9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम (5) (6) (7) और (8) के संदर्भ में मामले में आगे की कार्रवाई करेगा।

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. असफल मॉडल की परीक्ष रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप 7

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

[विनियम 11 का उप-विनियम 6 देखें]

(संगठन के शीर्षनामा पर प्रस्तुत किया जाए)

तारीख :

सेवा में,

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली-110 066

भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, हम अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के विनिर्माता मैसर्सको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.....के पत्र सं..... द्वारा मॉडल संख्यांक.....के लिए.....स्टार स्तर पर ऊर्जा उपभोग मानक के अनुरूप अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात किया गया था।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसार, हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख..... के पत्र संख्या.....के अधीन आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निदेश दिए गए थे। ब्यूरो द्वारा जारी निदेश को देखते हुए, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	निर्देशित कार्रवाई	प्रास्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें	हां/नहीं/लागू नहीं होता	स्टार स्तर को (तारीख) सेस्टार से सुधार कर.....स्टार कर दिया गया है
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें, और	हां/नहीं/लागू नहीं होता	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों का परिवर्तन कर बदल दें।	हां/नहीं/लागू नहीं होता	हां/नहीं/लागू नहीं होता

उपर्युक्त घोषणा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कृते और की ओर से

कंपनी/फर्म आदि का नाम

फर्म/कंपनी की मुहर

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2023

No. BEE/S&L/UHD/02/2022-23.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra-High Definition Televisions) Regulation, 2023, were published vide notification number BEE/S&L/UHD/02/2022-23 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 01st August, 2022;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);

(b) "Form" means a form appended to these regulations;

(c) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, Ultra-High Definition televisions;

(d) "label period" means the validity period of the annual energy consumption under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the annual energy consumption is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

(e) "models or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, annual energy consumption, energy efficiency rating and performance characteristics;

(f) "permittee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;

(g) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the Ultra-High Definition television based on energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the annual energy performance of Ultra-High Definition televisions;

(h) "trader or seller" in relation to any labelled Ultra-High Definition television means a person who sells or distributes any such Ultra-High Definition television and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such Ultra-High Definition television.

- (i) "Ultra-High Definition television" means an appliance as specified in the clause (a) of notification 14(b) of Ultra-High Definition Television;

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.-(1) On every Ultra-High Definition television, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) equipment Type;
- (c) brand;
- (d) model number and year of manufacturing or import;
- (e) screen size in centimetre (screen size measured diagonally across the screen in centimetre);
- (f) annual energy consumption in kWh per year;
- (g) unique series code;
- (h) star level; and
- (i) label period.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.-(1) **Transition from Voluntary to Mandatory regime.**- A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every Ultra-High Definition television within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller,-

- (a) shall not produce the Ultra-High Definition television with the previous energy consumption standards;
- (b) the Ultra-High Definition television shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the Ultra-High Definition television in synchronisation with revised energy consumption standards;
- (c) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance.

5. Manner of display of label.- (1) The label shall be affixed at the front display of the unit and should be easily visible as referred in sub-regulation (2) of regulation 3 and the permittee shall ensure that the label appears on every registered unit or model on display for identification purpose, at point of sale or hire and the label shall also be printed or pasted to the exterior to the packaging box containing the unit or model.

(2) For units not on display, the label may be printed or pasted to the exterior of the casing of the Ultra-High Definition television and the label may be attached to the unit or model when the unit or model is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a Ultra-High Definition television without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) **Company registration.**- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) **Model registration.**- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and
- (b) a label security fee of one lakh rupees, payable in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi; by any acceptable electronic mode of payment;
- (c) documents specified in Form I – (B).

7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and

labeling namely Disseminating Star Labeling in Household Appliance, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, –

- (a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and
 - (b) grant permission for affixing label on Ultra-High Definition television in Form II-(B) in electronic form.
- (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of permittee therein.
- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.
- (4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.
- Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.
- (5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.
- (6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.
- (7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the Ultra-High Definition television from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration according to Form IV.
- (8) The permittee shall seek permission to affix a label afresh, if a new model of the Ultra-High Definition television is to be launched synchronising with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. – Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-

- (a) the star level displayed on the label of Ultra-High Definition television shall conform to energy consumption standards for Ultra-High Definition television notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of Ultra-High Definition television for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the Ultra-High Definition television at the cost of the permittee;
- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of Ultra-High Definition television shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on standards and labeling namely Disseminating Star Labeling in Household Appliance.

9. Label fee.– (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of thirty rupees for each label affixed on the Ultra-High Definition television.

- (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit made under clause (b) of sub regulation (3) of regulation 6 and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission and

the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security deposit.- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture Ultra-High Definition television.

11. Verification by Bureau.-(1) The Bureau or its designated agency may, either suomotu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the Ultra-High Definition television conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by the Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the Ultra-High Definition television in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, and a notice shall be issued to the permittee in Form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit and such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses as specified shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where a sample of Ultra-High Definition television used for testing fails the test during suomotu testing or challenge testing, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of Ultra-High Definition television used in the first test, in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee. Provided that the Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall,—

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months,—

(i) correct the star level displayed on the label of the Ultra-High Definition television or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;

(c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(6) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation(5),—

(a) send the compliance report in Form VII to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction.

(b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(5) The Bureau shall send the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(6) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies,shall,—

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and for taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission.—The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee —a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) does not comply with the direction issued under regulation 11; and

(d) provided that no permittee shall be cancelled unless the permittee has been given an opportunity being heard in the matter.

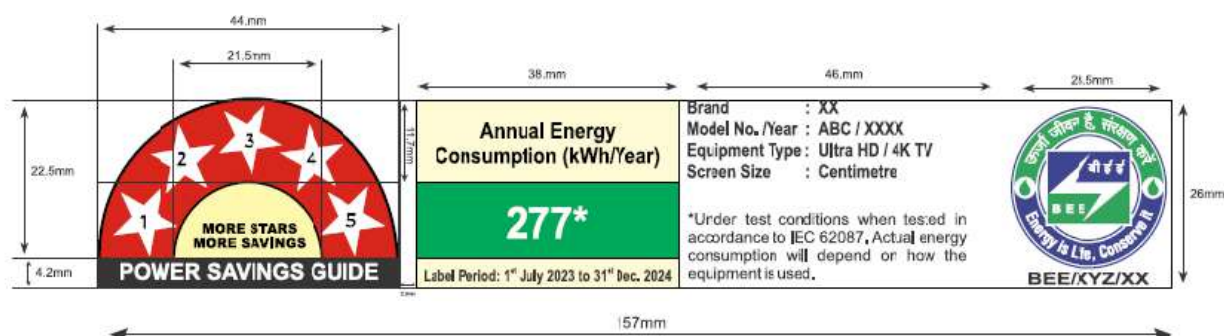
SCHEDULE

[See regulation 3 (2)]

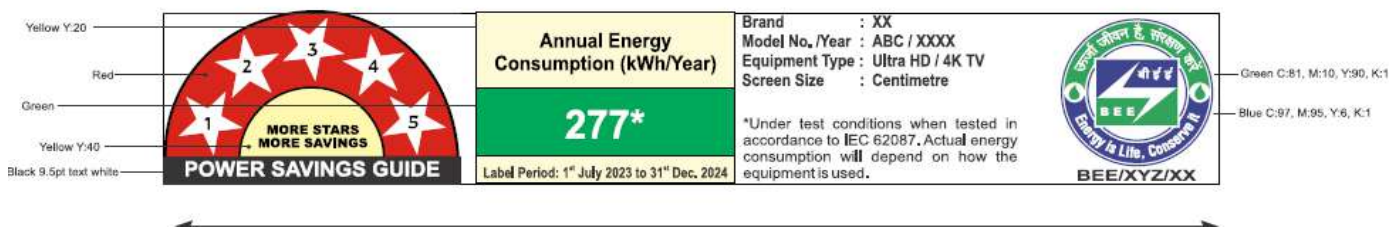
Particulars to be displayed on labels of UHD television.

(1.) Label design,-

(i) Dimension:



(ii) Colour scheme:



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

Blue –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

Green –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%

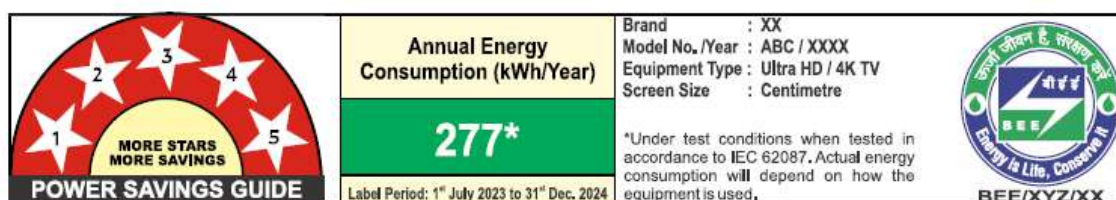
Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56

(iv) The complete specimen of a printed label for UHD television:



(2) Label material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of Ultra-High Definition Television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi – 110066, India.

1. I/We am/are the manufacturer or manufacturers of Ultra-High Definition television carrying out business at(full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Ultra-High Definition television as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023.
2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small-Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.
 - (a) Applicant or Authorised person:(Name and designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.
 - (b) Contact Person: (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
 - (a) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.
3. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum Retail Price of the equipment (Rs.)
Last Year from.....to.....			
Current Year from.....to..... (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be.....has been paid by Demand Draft No. dated...../electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....
(Name of the firm) / SEAL OF FIRM

ABHAY BAKRE, Director General,

[ADVT.-III/4/Exty./680/2022-23]

Annexure

[See para 2 of Form I- (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration: (a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises (b) Trade mark certificate (c) Small scale industries Certificate, if applicable (d) Quality Management System Certificate	Yes/No
(e) Authorised signatory letter (f) Bureau of Indian standards license, if applicable (g) Demand Draft (security deposit)/ payment receipt in case payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM I-(B)

[See regulation 6]

Application for permission to affix label on Ultra-High Definition Television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi - 110066

India.

1. I/We am/are the registered manufacturers or importers of Ultra-High Definition television carrying out business at
... (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on UHD Television as specified by the Bureau in Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of Label on Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023.
2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by (Name of the company) and is manufactured at (Name and address of the factory).
3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

- (a) Applicant/authorised person:(Name and Designation) is authorized to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.
- (b) Contact Person: (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.
- (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.
4. Conformance to standards : (1)I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other International Standards in respect ofQualitySystem orOtherstandardsinaccordancewithIndianstandards/others(nameandnumberofthestandard)..... as specified in the notification on(title of the notification) for the..... (name of the equipment).
- (2)I/We have made arrangements for testing at our in-house laboratoryor at independent laboratory (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory or International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation or equivalent bodiesfor ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian standards/International organisation for standardization/International electrotechnical commission standards as specified in Statutory order.....
- Laboratory details:
- (a) Accreditation Board:
- (b) Accreditationstatus:
- (i) For laboratory: (yes/no)
- (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)
- (c) Bureau of Energy Efficiency approval:
5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ To _____ Current year from _____ To _____ (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees paid by electronicmode.
- (b)A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupeeshas been paid by electronic mode.
- (c) I/We agree to pay the labelling fee as specified by theBureau.
7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made byit.
8. I/We authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in thisregard.
9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejectedforthwith.

Dated this.....Day of(Year)

Yours Faithfully,

Signature.....

Name.....

Designation.....

(Name of the firm)

Seal of the Firm

Annexure**[See para 3 of Form I- (B)]**

Details of Information

Product/Equipment Detail

1.1 General (Complete the details as applicable)

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Screen Size (centimetre)
Screen Area (sq. centimetre)
Voltage/Voltage Range (V)
Year of Manufacturing
BIS certificate details (if any) (Attach copy of the license / certificate)
Star rating

1.2 Technical Specification (Complete the details as applicable)**(a) Tested values:**

Sl. No.	Model Name/ No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Screen Size (cm)	Screen Area (sq.cm.)	Energy Consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Screen Size (cm)	Screen Area (sq.cm.)	Energy Consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For laboratory	Yes/No

(ii) For relevant standards (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

3. Labelling information

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of energy efficiency a) for the first year- b) for the second year- c) for the third year-	
Product serial No.	From _____ To _____

4. ModelDetails:

Model or family of models (if applicable)	Model name/model number
Base model	
Child models	

5. Specimen of the label to be affixed on the Ultra-High Definition television is shown below:

(Annex separate specimen for family of models (if applicable))

	Annual Energy Consumption (kWh/Year) 277*	Brand : XX Model No./Year : ABC / XXXX Equipment Type : Ultra HD / 4K TV Screen Size : Centimetre	
	Label Period: 1 st July 2023 to 31 st Dec. 2024	*Under test conditions when tested in accordance to IEC 62087. Actual energy consumption will depend on how the equipment is used.	

Date

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

Seal of the Firm

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of Ultra-High Definition television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023

New Delhi,
dated.....

To

.....
.....
.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the Ultra-High Definition television shall conform to energy consumption standards for Ultra-High Definition television notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the stamping of the label only on such model of Ultra-High Definition television for which permission has been granted;
 - (c) the printing and affixture of the label on the Ultra-High Definition television at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the Ultra-High Definition television shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
 - (g) the permittee making available such other details of Ultra-High Definition television as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Ultra-High Definition television from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day of..... month..... year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure**[See para 1 of Form II-(A)]**

Details of Approvals

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

1. Name of the brand registered:
2. **Unique seriescode:**
3. **Other Details (if applicable):**

Date.....

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM II – (B)

[See regulation 7 (1) (b)]

Permission/renewal of permission to affix label on Ultra-High Definition television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.
2. This permission is subject to the condition that—
 - (a) the star level displayed on the label of the Ultra-High Definition television shall conform to energy consumption standard for Ultra-High Definition television notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of Ultra-High Definition television for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the Ultra-High Definition television at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Ultra-High Definition television shall

- (e) the permittee shall pay the label fee of thirty rupees perlabel;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau, a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau through automated system;
 - (g) the permittee shall make available such other details of Ultra-High Definition television as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid with effectfrom.....toand may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the Ultra-High Definition television from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau for the equipment isand should appear on the label as per the approved design.
5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government , the star level of the UHD Television shall stand modified as follows:-
 - (a).....If new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
 - (b).....Where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.
6. Signed, sealed and dated this..... dayof.....month year.

Bureau of Energy Efficiency

[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the equipment

Appliance and Type
Brand Name
Model Name / Number
Screen Size (centimetre)
Screen Area (sq. centimetre)
Voltage/Voltage Range (V)
Year of Manufacturing

Technical Specification:

[illegible]

2. Label Details

Appliance and Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Star level	
Screen Size (cm)	
Screen Area (sq.cm.)	
Year of Manufacturing	
Energy Consumption (kWh/Year)	
Unique Series Code	
Label Period	

3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the Ultra-High Definition television is shown below.

Label of Ultra-High Definition television (Under item no. 3 of Annexure to form II, the following sample label shall be substituted):



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the UHD television.

Date

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

FORM III**[See sub-regulation (2) of regulation 7]****Register of permittee to be maintained by the Bureau of Energy Efficiency(template)**

S. No.	Application number and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, PhoneNo., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or efficiency level declared	BEE permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security fee	Label security deposit received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Amount of Application Fees received	Details of Application Fees Amount received (Electronic transaction (Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labelling fee payable to BEE for each financial year	Labelling fee details received for each financial year (Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV**[See sub-regulation (7) of regulation 7]****Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model****(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)****(On the letter head of corporate body / Permittee)****Date:****To****The Director General****Bureau of Energy Efficiency****(Ministry of Power, Government of India)****4th Floor, Sewa Bhawan,****Sector 1, R.K.Puram,****New Delhi-110 066****India.**

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of Ultra-High Definition television carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on Ultra-High Definition television as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023 which would go for revision of star level with effect from.....

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

3. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per Tableas specified in the notification no. S.O. numberdated.....for UHD television. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the UHD television is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Screen Size (cm)	--	
Screen Area (sq.cm.)	--	
Annual Electricity Consumption (kWh/year)	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Ultra-High Definition television model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year).....

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

New Delhi, dated the.....

To

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the Ultra-High Definition television vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Ultra-High Definition television from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated..... for a price of Rs.....and lifted as a sample dated by.....for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Ultra-High Definition television. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number----- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s....., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O.....dated.....for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.

4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations 2023, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations 2023, the Bureau hereby intimates to-

- (i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).
- (ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations 2023.

7. Signed, sealed and dated this..... day of..... month year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Details of product/ *suo motu* test results
2. Annexure V(a)
3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V] Details of Information

1. Product/Equipment Detail

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Screen Size (cm.)
Screen Area (sq. cm.)
Voltage/Voltage Range (V)
Year of Manufacturing
BIS certificate details (if any) (Attach copy of the license / certificate)
Star rating or star level
Unique label series code

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suomototest* (if applicable):

Brand	Model	Rated annual energy consumption (kWh/year)	Screen area(sq. cm.)	Star rating (Declared)	Star rating (Check tested)	Remarks

Date.....

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to permittee on failure of second check testing

New Delhi, dated the.....

To

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions**) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the UHD television vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Ultra-High Definition television from your authorised distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid number.....was obtained from M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of. S.O. numberdated thefor giving Test Report in accordance with the Form.....given in Annexure to S.O. numberdated the

4. The results of the test report of the sample bearing unique identification serial number..... is enclosed. The results of the test report indicated that the sample of Ultra-High Definition television failed to meet the energy consumption standard, service value, etc. and did not conform to the test details furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the UHD television manufactured/imported by you. The test results were sent to you vide the Bureau's letter No.....dated.....in the name of your authorized contact person. You were also required to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5. The sample for second check verification test was picked up dated the through our authorized Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory transported by our authorized agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorized representative of the verification agency as well as your representatives.

6. The test results of second check testing are enclosed which are duly checked and counter signed by the competent authorized personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorized signatory as witness of second check testing. The test results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number....dated,and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Ultra-High Definition television manufactured/imported and sold in the market.

7. Now, therefore in exercise of the power conferred by clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023, the Bureau hereby directs to:-

- (i) correct the star level displayed on the label of the Ultra-High Definition television or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau;
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within ten days after the expiry of two months, i.e., byIn case no compliance report is received by the said date, the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6) (7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. 2. Correspondence with the manufacture

Form VII

Action Taken Report

[See sub-regulation 6 of regulation 11]

(To be furnished on letter head of the organisation)

Date:.....

To

The Secretary,
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023, we M/s.....the manufacturer of Ultra-High Definition television were permitted to affix label on the Ultra-High Definition television conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by the Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the UHD television to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau.	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

Name of the Company/Firm

Seal of the Firm/Company